BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2025

IN THE MATTER OF:
ANURAG SINGHAL …… APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ….. RESPONDENT

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE NMCG	1-4
2.	**Annexure A & B:** Letter dated 25.06.2025 and 19.09.2025	5-8
3.	**Annexure C:** Report received from DGC dated 03.11.2025 along with the letter dated 27.10.2025	9-72
4.	**Annexure D & E:** NMCG letters dated 24.03.2026 and 19.06.2026	73-74
5.	**Annexure F:** NMCG letter dated 25.06.2026	75-76

THROUGH

Date: 15.07.2026
Place: New Delhi

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT:

Gigi.C.George,Advocate
Advocate for Respondent Ch
No. 457, Lawyers Block-1 Delhi
High Court, New Delhi

Email- gigicgoerge.adv42@yahoo.in
Mob-9810625315

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ANURAG SINGHAL …… APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ….. RESPONDENT

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

I, Anup Kumar Srivastava, aged about 59 years, presently working as Executive Director (Technical), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Ministry of Jal Shakti, Government of India, New Delhi, being duly authorized to swear this affidavit, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am presently working as Executive Director (Technical) in the NMCG, DoWR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti, Government of India, New Delhi and am fully conversant with the facts and circumstances of the present case from the records, and duly authorized to submit this affidavit on behalf of the Respondent No. 4.

2. That, at the outset, it is submitted that NMCG is one of the authorities constituted in accordance with the provisions of sub-section 3 of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 vide notification no. S.O. No. 3187(E) dated 07.10.2016, published in the gazette of India. NMCG has been mandated with for the implementation of programs for protection, prevention and rejuvenation of river Ganga and its tributaries christened as the Namami Gange Programme (NGP) of the Central Government. The NGP focuses on effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the river Ganga and its tributaries through interventions like taking up sewerage infrastructure

NOTARY M. ARYA Regd. 19591 4/2/2030 APPROVED BY GOVT. OF INDIA

projects for interception, diversion and treatment of waste water discharge from open drains into the river through construction of new STPs and/or rehabilitation and augmentation of existing STPs, laying of sewage pipelines etc.

3. That in the present Original Application the Applicant has alleged that a heritage charitable institution, namely Mehta Hospital, existed as a three-storey charitable health facility situated at a distance of approximately 100 feet from the river bank of River Ganga and within the High Flood Level Zone (HFLZ). It has further been alleged that Respondent No. 9 has undertaken construction of additional floors over the existing structure and has also expanded the horizontal built-up area beyond the original footprint with the intent to convert the premises into a commercial hotel, in violation of applicable environmental and regulatory norms.

4. That it is submitted that after subject matter of the present Original Application came to the knowledge of the NMCG, vide letters dt.25.06.25 and 19.09.25, NMCG issued directions to the District Ganga Committee (DGC), to conduct inspection and submit a factual report in respect of the alleged unauthorised construction by M/s Sri Vaari Chemicals Pvt. Ltd., Varanasi. Copy of the letter dated 25.06.2025 and 19.09.2025 is annexed herewith as ***'Annexure-A & B'***.

5. That the District Ganga Committee submitted its report vide letter ***dated 03.11.2025***, enclosing the inspection report dated 03.11.2025 and minutes of meeting dated 14.10.2025, along with details of permissions obtained by the project proponent from various statutory authorities. As per the inspection report:

a) The construction activity at the site is being carried out after obtaining repair/reconstruction permissions from the Varanasi Development Authority (VDA), and no additional floor construction was found during the inspection;

b) The DGC also furnished details of permissions obtained by the project proponent from various statutory authorities, including registration from-

- Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh dated 30.09.2024,
- VDA permissions dated 14.08.2023, 19.08.2023 and 05.03.2025,

NOTARY ★ INDIA M. ARYA Regd. 19591 4/2/2030 ★ APPROVED BY GOVT. OF INDIA

Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation ★ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ★ National Mission for Clean Ganga नमामि गंगे

- Conditional registration from the Additional District Magistrate (Protocol & Tourism), Varanasi dated 12.08.2025,
- Consent to Operate issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) on 26.10.2025,
- Fire Deptt NOC dated 07.10.2025; and
- Registration as "Adaptive Reuse of Heritage Building" under the Tourism Policy-2022 dated 29.08.2025.

c) Further, the UPPCB inspection conducted on 24.09.2025 observed that construction and finishing works were ongoing in proximity to River Ganga, a 50 KLD Sewage Treatment Plant had been installed, DG sets were installed without chimneys as per prescribed norms, and that Consent to Establish had not been granted at the time of inspection; however, Consent to Operate has since been issued.

d) With regard to Flood Plain Zone (FPZ) applicability, the Executive Engineer, Bandhi Block, Varanasi informed vide letter dated 27.10.2025 that the FPZ demarcation of River Ganga in the concerned stretch is presently under process pursuant to the Memorandum of Agreement between NIH, Roorkee and the Irrigation & Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh, and that installation of boundary pillars is yet to be completed.

A copy of the report received from DGC dated 03.11.2025 along with the letter dated 27.10.2025 is attached herewith as '***Annexure-C***'

6. That in order to obtain the requisite clarifications, particularly with regard to the Flood Plain Zone (FPZ) demarcation and related aspects, NMCG, vide letters dated 24.03.2026 and 19.06.2026, requested the District Ganga Committee, Varanasi, to furnish the updated/current status of the Flood Plain Zone (FPZ) demarcation of River Ganga in the concerned stretch as intimated by the Executive Engineer, Bandhi Block, Varanasi, vide letter dated 27.10.2025 is not known. This information is essentially required to ascertain/find out whether the said structure is falling in the **Active Flood Zone** or not (as per 1 in 5-yr return period flood). Copies of the said letters are annexed herewith and collectively marked as '**Annexure–D & E**'.

7. That thereafter NMCG, vide letter dated **25.06.2026**, requested the State Government of Uttar Pradesh to undertake the requisite hydrological and technical studies through the competent authority and complete the demarcation of the floodplains corresponding to the **1-in-5-year** and **1-in-25-year** return periods in accordance with the *Technical Guidelines on Floodplain Zoning* issued by the Central Water Commission (July, 2025). The State Government was further requested to furnish the requisite floodplain zoning maps to NMCG to facilitate examination of the proposal under the provisions of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. A copy of the letter dated **25.06.2026** is annexed herewith and marked as '**Annexure – F**'.

8. That the National Mission for Clean Ganga is actively pursuing the matter with the concerned State authorities for obtaining the requisite information and shall place any further developments, if any, before this Hon'ble Tribunal, as and when required. The answering Respondent respectfully craves leave of this Hon'ble Tribunal to file additional affidavit(s), reply(ies) or place on record any further documents, if so required, in the interest of justice.

9. That in light of the above submission, it is respectfully submitted that this Answering Respondent NMCG, shall abide by any order(s) or direction(s) passed by this Hon'ble tribunal in this Application.

...ntify the Deponent who signed before me

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this day of 17 JUL 2026 July, 2026 that the contents of the aforesaid affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Date: 15 July, 2026
Place: New Delhi

NOTARY ★ M. ARYA Regd. 19591 4/2/2030 APPROVED BY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

17 JUL 2026

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

(COURT MATTER: PRIORITY)

F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH)-NMCG Date: 25.06.2025

Subject: Request for Action and Submission of Status Report in OA No. 259/2025 – Anurag Singhal Vs. Union of India & Ors. – Alleged Construction in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi

This is with reference to Original Application No. 259 of 2025, titled *Anurag Singhal Vs. Union of India & Ors.*, pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The National Mission for Clean Ganga (NMCG) has been impleaded as one of the respondents in the matter.

2. The original application was listed before the Hon'ble Tribunal on 26.05.2025, wherein the applicant in the matter has raised the issue of unauthorised construction by Respondent No. 9 M/s Sri Vaari Chemicals Private Limited in close proximity to the river Ganga in Varanasi, alleging that a three storey charitable health facility (Mehta Hospital), located approximately 100 feet from the riverbank and within the High Flood Level Zone (HFLZ), is being structurally modified through the addition of extra floors and horizontal expansion beyond its original built-up area, with the intent to convert it into a commercial hotel, thereby potentially violating environmental norms, river conservation regulations, and heritage protection guidelines. Copy of the order dated 26.05.2025 and original application is attached as 'Annexure – 1' for your kind reference.

3. In this regard, NMCG requests the District Ganga Committee to urgently examine the matter and verify whether the construction activities undertaken by Respondent No. 9 fall within the prohibited zone or violate any applicable norms related to riverfront development, floodplain regulation, or environmental safeguards under the Ganga conservation framework. In particular, attention is invited to Section 55 of the NMCG Authority Notification, 2016 which empowers District Ganga Committee to conduct inspections, monitor compliance, and take enforcement action against any activity detrimental to the river ecosystem. Necessary coordination with local bodies and regulatory agencies may also be undertaken to assess the legality and environmental impact of the construction in question.

4. Accordingly, it is requested that appropriate action be initiated under the above-mentioned provision, and a status report containing factual findings, observations, actions taken, and recommendations be submitted to NMCG at the earliest. This will enable NMCG to take further appropriate steps in compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal.

Anup Kumar Srivastava
Executive Director (Technical)

To,
District Magistrate, Chairperson, District Ganga Committee, Varanasi, Uttar Pradesh;
Collectorate Compound, Hamrautia,
Varanasi, Uttar Pradesh 221102,
dmvar@nic.in

Copy for information and necessary action to:

1. The Project Director, SMCG, Uttar Pradesh
   Plot No. 18, Sector 07, Gomti Nagar Rd, Sector 18, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010,
   pd@smcg-up.org

2. PS to DG, NMCG, ps.dg@nmcg.nic.in

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

(COURT MATTER: PRIORITY)

F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH)-NMCG **Date: 19.09.2025**

Subject: Reminder – Request for Action and Submission of Status Report in OA No. 259/2025 – *Anurag Singhal Vs. Union of India & Ors.* – Alleged Construction in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi.

Sir/Madam,

This is in continuation of this office letter No. F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH)-NMCG dated 25.06.2025, on the subject mentioned above. ***(Copy Attached)***

2. As communicated earlier, the matter relates to *Original Application No. 259 of 2025, titled Anurag Singhal Vs. Union of India & Ors.*, pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, wherein NMCG has been impleaded as one of the respondents. The Hon'ble Tribunal, vide its order dated 26.05.2025, has taken note of the allegations regarding unauthorised construction by Respondent No. 9, *M/s Sri Vaari Chemicals Private Limited*, involving structural modification and expansion of a charitable health facility (Mehta Hospital) located within the High Flood Level Zone (HFLZ) of river Ganga in Varanasi, purportedly for conversion into a commercial hotel.
3. In light of the above, NMCG had requested the District Ganga Committee to urgently examine the matter, conduct necessary verification, and initiate appropriate action under the provisions of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. The District Ganga Committee was also requested to submit a comprehensive status report containing factual findings, observations, action taken, and recommendations for onward submission to the Hon'ble Tribunal.
4. Further, a communication dated 24.07.2025 has been received from SMCG-Uttar Pradesh, wherein reference has been made to NMCG's earlier letter. Through the said communication, SMCG has also requested the District Ganga Committee to urgently verify the construction activities of Respondent No. 9 and submit a status report to NMCG/SMCG, highlighting action taken in the matter. ***(Copy Attached)***

5. In view of the above, it is once again requested to kindly initiate necessary action on priority and furnish the status report to NMCG at the earliest, so as to enable compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal.

Anup Kumar Srivastava
Executive Director (Technical)

To,
District Magistrate, Chairperson, District Ganga Committee, Varanasi, Uttar Pradesh;
Collectorate Compound, Hamrautia,
Varanasi, Uttar Pradesh 221102,
dmvar@nic.in

Copy for information and necessary action to:

1. The Project Director, SMCG, Uttar Pradesh
   Plot No. 18, Sector 07, Gomti Nagar Rd, Sector 18, Gomti Nagar, Lucknow,
   Uttar Pradesh 226010,
   pd@smcg-up.org

2. PS to DG, NMCG, ps.dg@nmcg.nic.in

जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी वन प्रभाग/ मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय,

कृपया प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, वाराणसी के पत्र संख्या: 1799/29-1 दिनांक: 01.11.2025 द्वारा प्रेषित जांच आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त कम मे मे अवगत कराना है कि कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली ने पत्र संख्या: एल-25012 (11)/12/2025-0/0 ED (Tech)-NMCG दिनांक: 25.06.2025 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश दिनांक: 26.05.2025 के सन्दर्भ मे स्टेट्स रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सन्दर्भ मे दिनांक 14.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत जिला गंगा समिति की बैठक मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य मे पारित आदेश दिनांक: 26.05.2025 के सन्दर्भ मे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रेषित पत्रों, जिसमे जनपद वाराणसी मे गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण का उल्लेख है। यह मेहता अस्पताल के परिसर मे मै0 श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लि0 द्वारा कथित रूप से किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक संशोधन और विस्तार से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध मे एन0एम0सी0जी0 ने जिला गंगा समिति को तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र' सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश 2016 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, के कम मे बैठक मे विकास प्राधिकरण, वाराणसी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं सिचाई विभाग वाराणसी को कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, वाराणसी द्वारा सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं अधिशारी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग, वाराणसी से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने आख्या पत्र संख्या: 1799/29-1 दिनांक: 01 नवम्बर, 2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त आख्यानुसार श्री दीपक सोप्पा अधिकृत प्राधिकारी श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा गंगा किनारे स्थित भवन संख्या: के0-24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट, वार्ड कोतवाली स्थित भवन संख्या: के-24/02 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु आ0सं0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास, परगना देहात अमानत, वार्ड कोतवाली वाराणसी पर अनुमति हेतु आवेदन किया था। उक्त प्रकरण मे स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के दौरान पाया गया कि भवन संख्या: के-24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली एवं भवन संख्या के 24/102 मोहल्ला रामघाट तथा आ0न0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास परगना देहात अमानत वार्ड कोतवाली पर शासनादेश के अनुक्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति प्राप्त करके निर्माण किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नही किया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे प्रभावी व प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 के अध्याय-1 के प्रस्तर-1.6 सेक्टोरल नीतियां मे उल्लिखित है कि "यदि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित विभिन्न सेक्टोरल नीतियों के प्राविधान उपविधियों भिन्न है तो वो भी प्रभावी होगें। यदि सेक्टोरल नीतियों के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 भवन की ऊँचाई अनुषांगिक/मिश्रित उपयोग जैसे मानदण्डों से सम्बन्धित विशिष्ट प्राविधान उपविधियों की अनुमन्य सीमाओं से अधिक निर्धारित किए गए है तो वे मान्य होगें।" उक्त उपविधि के अध्याय 05 के प्रस्तर 5.3.9 मे उल्लिखित है कि "ऐसे भवन जिन्हे पर्यटक विभाग द्वारा हेरिटेज भवन घोषित किया गया है, उसमे विद्यमान आवासीय/गैर आवासीय भवनों का होटल के रूप मे अनुकूलनीय पुन-उपयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य होगा।" उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत परिवर्तन नही हुआ है। यहाँ भी अवगत कराना है कि इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज के पत्र दिनांक 03.10.2025 द्वारा भी मै0 श्री वारी केमिकल्स प्रा0लि0 रामघाट, वाराणसी को हेरिटेज बिल्डिंग से होटल कन्वर्जन की सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त प्रकरण मे योजित पी0आई0.एल0 संख्या: 54/2025 अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति द्वारा जोनल अधिकारी, विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक: 14.08.2023/19.08.2023/05.03.2025, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक 16.10.2025 एवं अधिशारी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक: 27.10.2025 के आधार पर प्रेषित आख्या दिनांक 01.11.2025 की प्रति एवं जिला गंगा समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 की कार्यवृत की प्रति संलग्न कर कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को प्रेषित किए जाने वाले पत्र का आलेख तैयार कर सम्मुख पृष्ठ पर प्रस्तुत है। कृपया सहमति की दशा मे हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

विनोद कुमार वर्मा,
राजस्व सहायक-प्रथम,
03/11/2025

DFO.

SDO
3-11-25

DFO
3/11/25

3/11/25

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी),
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,
नई दिल्ली।

संख्याः 1699/राजस्व सहायक प्रथम/2025 दिनांकः 03 नवम्बर, 2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे विचाराधीन OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः एल–25012 (11)/12/2025–0/0 ED (Tech)-NMCG दिनांकः 25.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के सन्दर्भ मे स्टेट्स रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत जिला गंगा समिति की बैठक मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के सन्दर्भ मे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रेषित पत्रों, जिसमे जनपद वाराणसी मे गंगा नदी के उच्च बाढ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण का उल्लेख है। यह मेहता अस्पताल के परिसर में मे0 श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लि0 द्वारा कथित रूप से किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक संशोधन और विस्तार से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध मे एन0एम0सी0जी0 ने जिला गंगा समिति को तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश 2016 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, के कम मे बैठक मे विकास प्राधिकरण, वाराणसी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं सिचाई विभाग वाराणसी को कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, वाराणसी द्वारा सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग, वाराणसी से रिपोर्ट प्राप्त कर अपने आख्या पत्र संख्याः 1799/29–1 दिनांकः 01 नवम्बर, 2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त आख्यानुसार श्री दीपक सोप्पा अधिकृत प्राधिकारी श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा गंगा किनारे स्थित भवन संख्याः के0–24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट, वार्ड कोतवाली स्थित भवन संख्याः के–24/02 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु आ0सं0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास, परगना देहात अमानत, वार्ड कोतवाली वाराणसी पर अनुमति हेतु आवेदन किया था। उक्त प्रकरण मे स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के दौरान पाया गया कि भवन संख्याः के–24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली एवं भवन संख्या के 24/102 मोहल्ला रामघाट तथा आ0न0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास परगना देहात अमानत वार्ड कोतवाली पर शासनादेश के अनुकम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति प्राप्त करके निर्माण किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नही किया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे प्रभावी व प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ–2025 के अध्याय–1 के प्रस्तर–1.6 सेक्टोरल नीतियां मे उल्लिखित है कि "यदि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित विभिन्न सेक्टोरल नीतियों के प्राविधान उपविधियों भिन्न है तो वो भी

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

प्रभावी होगें। यदि सेक्टोरल नीतियों के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 भवन की ऊँचाई अनुषांगिक/मिश्रित उपयोग जैसे मानदण्डों से सम्बन्धित विशिष्ट प्राविधान उपविधियों की अनुमन्य सीमाओं से अधिक निर्धारित किए गए है तो वे मान्य होगें। " उक्त उपविधि के अध्याय 05 के प्रस्तर 5.3.9 मे उल्लिखित है कि "ऐसे भवन जिन्हे पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज भवन घोषित किया गया है, उसमे विद्यमान आवासीय/गैर आवासीय भवनों का होटल के रूप मे अनुकूलनीय पुन- उपयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य होगा।" उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत परिवर्तन नही हुआ है। यहॉ भी अवगत कराना है कि इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज के पत्र दिनांक 03.10.2025 द्वारा भी मे0 श्री वारी केमिकल्स प्रा0लि0 रामघाट, वाराणसी को हेरिटेज बिल्डिंग से होटल कन्वर्जन की सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त प्रकरण मे योजित पी0आई0.एल0 संख्याः 54/2025 अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक 16.10.2025 के अनुसार संदर्भित संस्था द्वारा सी0टी0ओ0 प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांकः 15.10.2025 आन लाइन प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 26.10.2025 को जारी किया गया है।

अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति द्वारा जोनल अधिकारी, विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांकः 14.08.2023/19.08.2023/05.03.2025, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक 16.10.2025 एवं अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी की आख्या दिनांकः 27.10.2025 के आधार पर प्रेषित आख्या दिनांक 01.11.2025 की प्रति, जिला गंगा समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 की कार्यवृत की प्रति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Consent to Operate दिनांक 26.10.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

3/11/25

(सत्येन्द्र कुमार)

जिला मजिस्ट्रेट,

वाराणसी।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

2–परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ को उनके उपर्युक्त विषयक पत्र दिनांकः 06.10.2025 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,

वाराणसी।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे विचाराधीन OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के कम मे प्रतिवादी संख्याः 02, 07 एवं 08 की ओर उत्तर/शपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु वांछित अनुदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के अनुपालन मे शपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु कन्सल्टेन्ट (ज्यूडिशियल), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2025 प्रेषित किया गया। दिनांकः 06.10.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के द्वारा प्रतिवादी सं0 02, 07, एवं 08 की ओर से उत्तर दाखिल किए जाने हेतु 04 सप्ताह का समय स्वीकृत किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश के कम मे प्रतिवादी सं0 02, 07, एवं 08 की ओर से उत्तर/शपथ पत्र दाखिल किए जाने हेतु तथ्य निम्नवत हैः-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 'अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य' मे पारित आदेश सन्दर्भ मे दिनांक 14.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत जिला गंगा समिति की बैठक मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा OA No. 259/2025 अनुराग सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं 08 अन्य मे पारित आदेश दिनांकः 26.05.2025 के सन्दर्भ मे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रेषित पत्रों, जिसमे जनपद वाराणसी मे गंगा नदी के उच्च बाढ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण का उल्लेख है। यह मेहता अस्पताल के परिसर मे मे0 श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लि0 द्वारा कथित रूप से किए गए अनाधिकृत संरचनात्मक संशोधन और विस्तार से सम्बन्धित है। उक्त के सम्बन्ध मे एन0एम0सी0जी0 ने जिला गंगा समिति को तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबन्धन) प्राधिकरण आदेश 2016 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, के कम मे बैठक मे विकास प्राधिकरण, वाराणसी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं सिचाई विभाग वाराणसी को कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(संलग्नकः जिला गंगा समिति की बैठक दिनांक 14.10.2025 की कार्यवृत की प्रति)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, वाराणसी द्वारा सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी एवं अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग, वाराणसी से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी जांच पत्र संख्याः 1799/29-1 दिनांकः 01 नवम्बर, 2025 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उक्त आख्यानुसार श्री दीपक सोप्पा अधिकृत प्राधिकारी श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा गंगा किनारे स्थित भवन संख्याः के0-24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट, वार्ड कोतवाली स्थित भवन संख्याः के-24/02 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु आ0सं0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास, परगना देहात अमानत, वार्ड कोतवाली वाराणसी पर अनुमति हेतु आवेदन किया था। उक्त प्रकरण मे स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के दौरान पाया गया कि भवन संख्याः के-24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला रामघाट वार्ड कोतवाली एवं भवन संख्या के 24/102 मोहल्ला रामघाट तथा आ0न0 5739 (पार्ट) मौजा शहरखास परगना देहात अमानत वार्ड कोतवाली पर शासनादेश के अनुकम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति प्राप्त करके निर्माण किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नही किया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मे प्रभावी व प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों-2025 के अध्याय-1 के प्रस्तर-1.6 सेक्टोरल नीतियां मे उल्लिखित है कि '"यदि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित विभिन्न सेक्टोरल नीतियों के प्राविधान उपविधियों मिन्न है तो वो भी प्रभावी होगें। यदि सेक्टोरल नीतियों के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 भवन की ऊँचाई अनुषांगिक/मिश्रित उपयोग जैसे मानदण्डों से सम्बन्धित विशिष्ट प्राविधान उपविधियों की

61

अनुमन्य सीमाओं से अधिक निर्धारित किए गए है तो वे मान्य होगें। " उक्त उपविधि के अध्याय 05 के प्रस्तर 5.3.9 मे उल्लिखित है कि "ऐसे भवन जिन्हे पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज भवन घोषित किया गया है, उसमे विद्यमान आवासीय/गैर आवासीय भवनों का होटल के रूप मे अनुकूलनीय पुन– उपयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य होगा।" उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत परिवर्तन नही हुआ है। यहाँ भी अवगत कराना है कि इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज के पत्र दिनांक 03.10.2025 द्वारा भी मे0 श्री वारी केमिकल्स प्रा0लि0 रामघाट, वाराणसी को हेरिटेज बिल्डिंग से होटल कन्वर्जन की सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त प्रकरण मे योजित पी0आई0.एल0 संख्याः 54/2025 अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया है। (संलग्नकः प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति द्वारा जोनल अधिकारी की आख्या दिनांक 01.11.2025, विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांकः 14.08.2023/19.08.2023/05.03.2025, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक 16.10.2025 एवं अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी की आख्या दिनांकः 27.10.2025 की प्रति)

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी की आख्या दिनांक 16.10.2025 के अनुसार संदर्भित संस्था द्वारा सी0टी0ओ0 प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांकः 15.10.2025 आन लाइन प्रेषित किया गया, जिसे दिनांक 26.10. 2025 को जारी किया गया है। (संलग्नकः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा जारी **Consent to Operate** की प्रति)

अतएव उपर्युक्त के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02, 07 एवं 08 की ओर से वांछित उत्तर/शपथपत्र दाखिल कराने का कष्ट करें।

(सत्येन्द्र कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी

संख्याः 1700 /राजस्व सहायक प्रथम/2025 दिनांकः 03 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपिः श्री भँवर सिंह जादोन, अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को संलग्नको सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियत दिनांक को वांछित उत्तर/शपथ पत्र दाखिल कराने का कष्ट करें।

2–श्री बी0 शिवशंकर, प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी को आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से श्री अरविन्द कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग को निर्देशित करें कि वे नियत दिनांक के पूर्व समस्त अभिलेखों के साथ श्री भँवर सिंह जादोन, अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नईदिल्ली से सम्पर्क कर वांछित शपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

3– श्री अरविन्द कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग को इस निर्देश के साथ कि समस्त अभिलेखों के साथ श्री भँवर सिंह जादोन, अधिवक्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नईदिल्ली से सम्पर्क कर नियत दिनांक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के स्तर से वांछित शपथ पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

3/11/25
जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

E/574/2023-UPTTT

ANNEXURE-1

DEPARTMENT OF TOURISM
Government of Uttar Pradesh

दिनांक/Date: 30-09-2024

पंजीकरण सं./Registration No.: VAR/03/TP036/2024

REGISTRATION CERTIFICATE
(ACKNOWLEDGMENT LETTER)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीवारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

द्वारा प्रस्तावित अवंतिका

नं.K-24/2,24/3, 24/4, 24/9, 24/102, ग्राम शहर खास, मुहल्ला रामघाट कोतवाली, परगना देहात अमानत तहसील, वाराणसी को

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत पर्यटन इकाई के वर्ग बजट होटल

में पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण की वैधता दिनांक 30-09-2024 से 22-11-2027 तक रहेगी।

Certified that **Avantika**

NO.K-24/2, 24/3, 24/4, 24/9, 24/102, VILLAGE SHAHAR KHAS, MOHALLA RAMGHAT KOTWALI, PARGANA DEHAT AMANAT TEHSIL, VARANASI

proposed by **SRIVAARI CHEMICALS PRIVATE LIMITED**

in the Category **Budget hotel** Tourism Unit under Uttar Pradesh Tourism Policy-2022, has been registered. Validity of registration is from 30-09-2024 to 22-11-2027 .

Signed by
Mukesh Kumar Meshram
Director General
Uttar Pradesh Tourism
Date: 01-10-2024 13:05:50

This certificate has been generated electronically and does not require a signature in ink.

यह अभिस्वीकृति/ पंजीकरण प्रमाण पत्र वित्तीय प्रोत्साहन/सब्सिडी हेतु किसी प्रकार प्रत्याभूति स्वयं प्रदान नहीं करता है। संबंधित इकाई को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन पर्यटन नीति 2022 में निहित सभी पूर्ण शर्तो व प्रावधानों को पूर्ण करने पर ही उपलब्ध होगी।

The award of this registration certificate is not an indication that the proposed unit has been assessed to be eligible for benefits under the policy 2022 claim of each benefit shall be assessed on its own merits at the time of claim.

(59)

ANNEXURE 2

उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी/अध्यक्ष धरोहर संरक्षण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2025 को समय 4:00 बजे अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) के माध्यम से मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा वाराणसी में रामघाट पर पूर्व मे निर्मित भवन को प्रस्तावित बजट होटल भवन के सम्बन्ध में पहुँच मार्ग(सड़क की चौड़ाई) एवं पार्किंग में छूट प्रदान किये जाने हेतु आहूत बैठक का कार्यवृतः—

बैठक में उपस्थितिः—

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम वाराणसी।
3. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, वाराणसी। (प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक)
4. संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग वाराणसी।
5. जिला संस्कृति अधिकारी, संस्कृति विभाग वाराणसी।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।
7. नगर नियोजक, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
8. श्री के. शिवा प्रसाद, एम.डी., श्री डी. राधाकृष्णन मूर्ति, डायरेक्ट कम सी.ई.ओ. एवं श्री एस. दीपक, श्रीवारी केमिकल्स प्रा. लि. वाराणसी।

सर्वप्रथम मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2025 एवं 06.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी में पर्यटन के दृष्टिगत् भवन संख्या—के.—24/2, 24/3, 24/4, 24/9, के.—24/102 व के.—24/2—ए, (आराजी संख्या—5739 अंश) शहरखास, रामघाट, परगना—देहात अमानत, जिला—वाराणसी में होटल का संचालन करना चाहता है, जिस हेतु पहुँच मार्ग एवं पार्किंग में छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. नगर नियोजक, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि—2025 के प्रस्तर—5.3.9 में निम्न उल्लेख हैः—

- *In buildings declared as heritage buildings by Toursim Department, adaptive reuse of existing residential/ non-residential buildings as hotels shall be permitted by the Authority.*
- *Road Width - Heritage buildings, proposed to be used as heritage hotels, shall be permissible on existing road width of at least 5 meters in areas which have traditionally considered to be religious and spiritual hotspots wherein most of the roads are narrow. In case of non-heritage areas, minimum width of existing approach road shall be 7.5 meters.*
- *Parking - Heritage buildings proposed to be used as heritage hotels, situated on narrow roads in urban areas which arrange for dedicated alternative parking on wider roads (more than 12-m) and provide for park and ride system from Hotel to parking place shall be permitted.*

58

- *Relaxations - The provisions related to means of access, ground coverage, FAR, setbacks, means of access, parking etc. may be relaxed by the Authority on the recommendation of the Heritage Conservation Committee.*

3. समिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 1130/कैम्प/प्राधि. बैठक(नामित)/टी.सी.पी./2025–26, दिनांक 08 सितम्बर, 2025 के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, वाराणसी को नामित किया गया है।

4. बैठक में संयुक्त निदेशक, पर्यटन द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक श्रीवारी केमिकल्स के आवेदन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11 अगस्त, 2024 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में लिए गये निर्णय निम्नवत है:–

- *The 1120 sq. mt. land lease as it was given to previous owner be given to the new owner of the property adjacent to this land for 30 years on rental agreed mutually by the Municipal Corporation and the owner of the property. (Time one week Action by the Municipal Commissioner, Varanasi)*
- *The buyer of the property can take up renovation, retrofitting, repair and conservation works inside the building without impacting the facade. (Time one week, Action by the Vice Chairman, Development Authority, Varanasi)*
- *Culture Department to issue adaptive reuse permission and register the hospitality unit in 15 days time. (Time two weeks, Action by the Principal Secretary, Culture.)*

उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में भवन संख्या–के.–24/2, 24/3, 24/4, 24/9, के.–24/102 व के.–24/2–ए, (आराजी संख्या–5739 अंश) शहरखास, रामघाट, परगना–देहात अमानत, जिला–वाराणसी पर पर्यटन नीति–2022 के अन्तर्गत विरासत भवन को अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) अन्तर्गत पत्र संख्या–587/प0के0वा0–पर्यटन नीति–22/25, दिनांक 29 अगस्त, 2025 के माध्यम से बजट होटल में पंजीकृत (पंजीकरण संख्या–VAR/03/TP036/2024) किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

5. घाटों के किनारे बने एवं संचालित अन्य होटल्स, व्यावसायिक भवन एवं रिहायशी भवनों तक पहुँचने हेतु गलियाँ है जिन पर बड़ें वाहन आ जा नही सकते और उन गलियों का चौड़ीकरण होना भी कठिन है, अतः पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रश्नगत भवन हेतु वांछित पहुँच मार्ग/सड़क की चौड़ाई में छूट दिया जाना उचित है।

6. सूच्य है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के प्रस्तर–5.3.9 के विन्दु संख्याः–VIII में धरोहर संरक्षण समिति को पहुँच मार्ग (सड़क की चौड़ाई), पार्किंग, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. आदि में छूट प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

7. जनपद वाराणसी पौराणिक शहर एवं गंगा तट पर भारतीय गौरवशाली संस्कृति की पहचान होने के कारण जनपद में पर्यटन के दृष्टिकोण से देश–विदेश से श्रद्धालु आते है एवं निवास करते है, जिसमें गंगा तट पर निवास करना उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है, जिसके लिए गंगा तट पर अधिक संख्या में होटल होना उचित होगा। The Economics Times Travel world की एक रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी के अन्तर्गत होटल की कमी है।
8. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के अन्तर्गत धार्मिक स्थलो पर निर्मित हेरिटेज होटल भवनों हेतु न्यूनतम 05 मीटर सड़क की चौड़ाई अनिवार्य है जबकि भौतिक रूप से सड़क की चौड़ाई 1.5 मीटर होने से फायर टेण्डर एवं अन्य इमरजेन्सी सर्विस वाहन उपरोक्त भवन तक नही पहुँच सकते है, जिसके कारण पंजीकरण व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
9. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी द्वारा यह भी बताया गया कि नियमानुसार अग्निशमन सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाएं एवं उपकरण प्रश्नगत भवन में आवेदक द्वारा स्थापित कर दिये गये है। भविष्य में किसी विपरीत परिस्थिति में आपदा का निवारण किया जा सकेगा।
10. प्रश्नगत भवन को बजट होटल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी, विद्युत सुरक्षा वाराणसी जोन वाराणसी, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग वाराणसी, पर्यटन विभाग वाराणंसी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी, नगर निगम वाराणसी, तहसील सदर वाराणसी द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल/पर्यटन) वाराणसी द्वारा सराय अधिनियम के अन्तर्गत सशर्त पंजीयन किया जा चुका है।
11. आवेदक संस्था मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनो के पार्किंग हेतु सार्वजनिक पार्किंग स्थलों का उपयोग किया जायेगा एवं स्थल पर पहुँचने हेतु जल मार्ग का प्रयोग किया जायेगा।

बैठक में प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के प्रस्तर–5.3.9 के विन्दु संख्याः–VIII में धरोहर संरक्षण समिति को प्रदत्त अधिकारो के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन संख्या–के.–24/2, 24/3, 24/4, 24/9, के.–24/102 व के.–24/2–ए, (आराजी संख्या–5739 अंश) शहरखास, रामघाट, परगना–देहात अमानत, जिला–वाराणसी के पहुँच मार्ग (सड़क की चौड़ाई) निर्धारित 05 मीटर के स्थान पर छूट प्रदान करते हुए वर्तमान में उपलब्ध

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

सड़क की चौड़ाई 1.5 मीटर इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया जाए कि आवेदक संस्था द्वारा स्थल पर मानक अनुसार किन्तु न्यूनतम एक फायर ऑफिसर की उपलब्धता 24x7 सुनिश्चित करनी होगी।

2. प्रश्नगत विद्यमान भवन प्राधिकरण गठन से पूर्व का निर्मित होने के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के अनुसार एफ.ए.आर., सेटबैक एवं भू–आच्छादन संबंधी मानकों की पूर्ति नहीं करता है। उक्त के दृष्टिगत तत्संबंधी मानकों में स्थलानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है।

3. मानक के अनुसार आवश्यक पार्किंग हेतु आवेदक संस्था को होटल संचालन से पूर्व किसी अन्य संस्था, जो पार्किंग संचालित करती हो, के साथ अनुबन्ध किया जाना आवश्यक होगा अथवा शहर के अन्य किसी स्थान पर पार्किंग का निर्माण कराते हुए क्रियान्वयन किया जाना होगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

नगर नियोजक,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
सदस्य

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी
सदस्य

जिला संस्कृति अधिकारी,
वाराणसी
सदस्य

संयुक्त निदेशक,
पर्यटन विभाग, वाराणसी
सदस्य

सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
सदस्य

अपर नगर आयुक्त,
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी
सदस्य

उपाध्यक्ष / अध्यक्ष
वा0वि0प्रा0 / धरोहर संरक्षण समिति।
वाराणसी।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

ANNEXURE 3

गंगा किनारे स्थित भवन सं0–के0 24/2, 3, 4, व 9 एवं भवन सं0–के0 24/102 मोहल्ला–रामघाट वार्ड–कोतवाली, वाराणसी की जॉच आख्या :–

कृपया उपरोक्त प्रकरण में सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पॉच सदस्यीय समिति गठित कर पत्रांक–185/वि0प्रा0/सचिव/2024–25 दिनांक–10.01.2025 के माध्यम से आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में गठित समिति द्वारा मौके पर स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तत्क्रम में अवगत कराना है कि पी0आई0एल0 संख्या–31229/2005 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0–049/8–3–15–103 विविध/13 दिनांक–11.03.2015 एवं दिनांक–17.08.2015 में उल्लिखित प्रावधानों तथा नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार (चिट्ठा वर्ष–1976 से पूर्व वार्ड–कोतवाली) के क्रम में निर्माणकर्ता, श्री दीपक सोप्पा अधिकृत हस्ताक्षरी श्रीवारी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड को भवन सं0–के0 24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली, स्थित भवन पर 1330.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु अनुमति पत्रांक–03/वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/ मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक–14.08.2023 के माध्यम से एवं भवन सं0–के0 24/102, मोहल्ला –रामघाट, वार्ड–कोतवाली, स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु अनुमति पत्रांक–231/वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक–19.08.2023 के माध्यम से प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के दौरान पाया गया कि भवन संख्या–के0 24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली एवं भवन संख्या के0–24/102, मोहल्ला–रामघाट वार्ड–कोतवाली, पर उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुर्ननिर्माण की अनुमति प्राप्त करके निर्माण किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नहीं किया गया है। पूर्व एवं वर्तमान के स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आख्या सूचनार्थ प्रस्तुत है।

Rohit 22/1/25
(रोहित कुमार)
अवर अभियन्ता।

(रविन्द्र प्रकाश)
अवर अभियन्ता।

(सौरभ देव प्रजापति)
जोनल अधिकारी।

(प्रभात कुमार)
नगर नियोजक।

(परमानन्द यादव)
प्र0अधि0 भवन।

56

Scanned with OKEN Scanner

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

ANNEXURE 3

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं0- /2024 श्री अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में इन्स्ट्रक्शन निम्नवत है:-

प्रकरण आराजी सं0-5739 मौजा-शहरखास, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी विषयक है। गंगा नदी के किनारे स्थित रामघाट आराजी सं0-5739, मौजा-शहरखास पर स्थित है स्थल पर नगर निगम की कुल भूमि 1633.81 वर्गमीटर है जो बशवल खुली भूमि व निर्मित भवन के रूप में है।

उक्त स्थल को म्यूनिसिपल बोर्ड वाराणसी द्वारा श्री मुरारी लाल मेहता वगैरह को दिनांक-20.04.1956 को 30 वर्ष हेतु पट्टे पर दिया गया था, जिसकी अवधि वर्ष 1986 मे समाप्त हो गयी है। उक्त स्थल का कब्जा वर्तमान मे नगर निगम के पास है तथा नगर निगम की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नही है। उक्त स्थल पर 11 मीटर x 11.80 मीटर = 129.80 वर्गमीटर का भवन व शेष भूमि सीढ़ी/छत की भूमि के रूप में है।

श्री मेहता के पट्टे की अवधि के समाप्ति के पश्चात मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीवारी केमिकल्स प्राईवेट लि0 ने पत्र दिनांक-01.07.2023 के द्वारा उक्त स्थल को पट्टे पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में मा0 सदन मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 सदन द्वारा मद सं0-11 दिनांक-20.09.2024 को पारित संकल्प सं0-99 के द्वारा शर्तो के अधीन कुल उपलब्ध भूमि 1633.81 वर्गमीटर मे से मात्र 1120 वर्गमीटर (129.80 वर्गमीटर भवन + 980.20 वर्गमीटर खुली भूमि) श्रीवारी केमिकल्स प्राईवेट लि0 को लीज रेंट पर दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। शेष 513 वर्गमीटर रास्ते व घाट के उपयोग में है। नगर निगम की इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार नवनिर्माण नही हो रहा है।

श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा भवन सं0-के.24/2, 3, 4 व 9 को क्रय करके वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी से पत्राचार करते हुए स्थल पर सौन्दर्यीकरण व मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसका नगर निगम की भूमि से कोई भी सरोकार नही है।

28/01/2025

28/01/2025

28.01.25

नजरी नक्शा राममन्दिर, गली, मकान, वाल्मीकी नुमा चबूतरा (नगर नि.) व श्री तारी केमिकल्स का भवन/भूमि, मौजा-शहर खास (मेहता घाट)/रामघाट

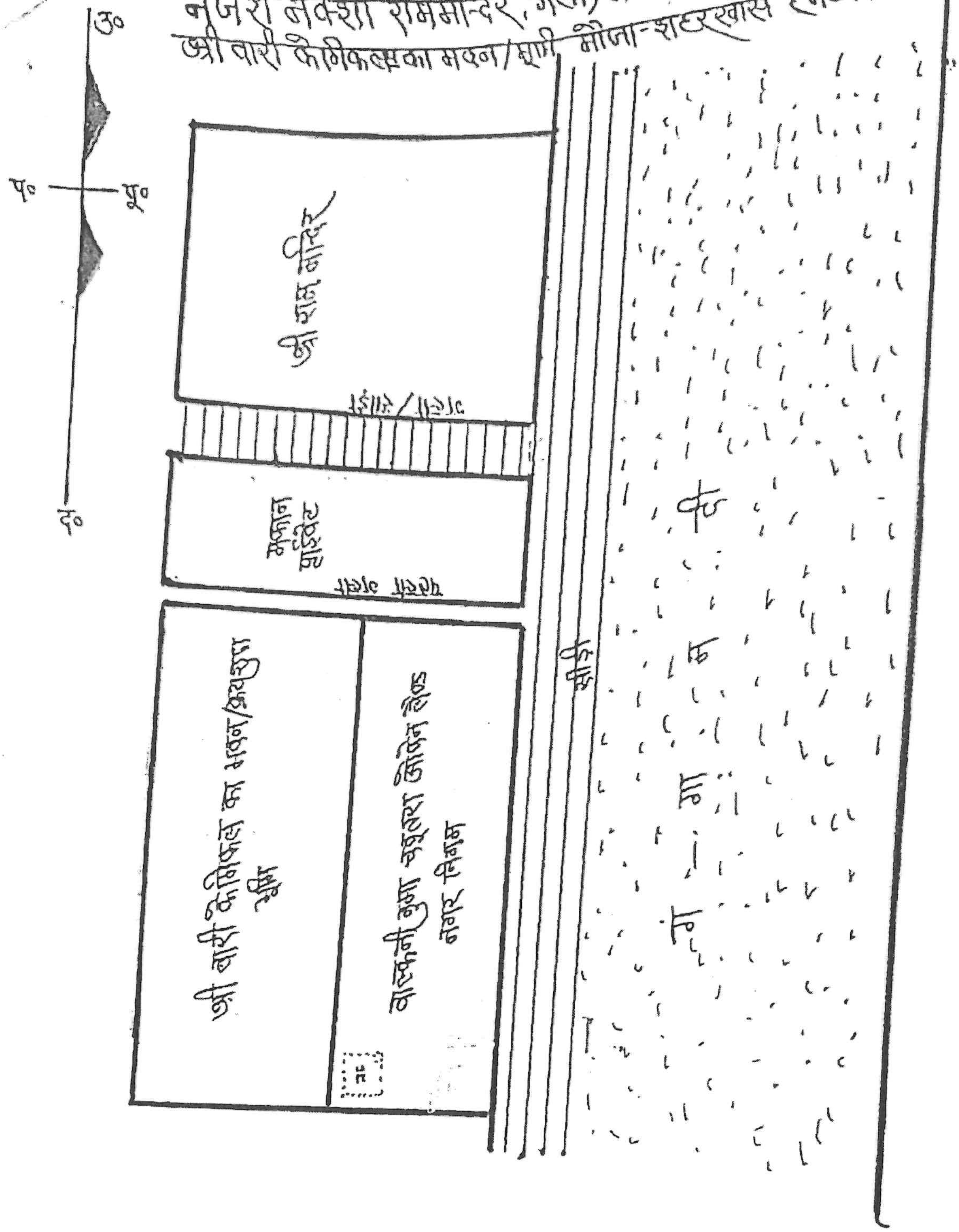

दि० २४/०१/२०२५

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

ANNEXURE 372

FIRE SERVICE | UTTAR PRADESH

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/174613/VRN/VARANASI/5550/CFO

दिनांक: 07-10-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AVANTIKA -SRIVAARI CHEMICALS PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **K 24-2, 24-3,24-4, 24-9, K 24-102, K 24-2-A,PARGANA- DEHAT AMANAT, MOHALLA- RAMGHAT,,VARANASI** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **1584.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **3325.42** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **5** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.15 mt.
B	1	1	4.10 mt.
C	4	1	14.95 mt.
D	4	1	14.95 mt.
E	4	0	12.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AVANTIKA -SRIVAARI CHEMICALS PVT LTD** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **10-10-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NAME - DEEPAK SOPPA EMAIL - deepaksoppa@balaha.com MOBILE - 9899192376** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-10-2025** से **09-10-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **AVANTIKA -SRIVAARI CHEMICALS PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AVANTIKA -SRIVAARI CHEMICALS PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा।
2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Anand Singh Rajput)
[2518B5B062AB2EA8F865E22969E056F243FEC0C0]
10-10-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **10-10-2025**
स्थान : **VARANASI**

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am
about:blank

ANNEXURE 4 373

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल एवं पर्यटन), वाराणसी।

संख्या-775 /प्रोटोकाल-सराय/2025

दिनांक : 12-अगस्त, 2025

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या- 0005-566

(अन्तर्गत सराय अधिनियम 1867 संख्यांक-22, अनंतिम पंजीयन)

प्रस्तावित बजट होटल अवंतिका (Srivaari Chemicals (P) Ltd.) स्वामी श्री शिव प्रसाद कोन्डा पुत्र हारानाथ गुप्ता निवासी-9डी0 करनेश्वर, कोएल, स्ट्रीट लेन-1, मैलापोर चेन्नई तमिलनाडु, वर्तमान पता-म0नं0 के0-24/2, 24/3, 24/4, 24/9 के0-24/102 एवं के0-24/2-ए (आराजी संख्या-5739(अंश) रकबा 1120 वर्गमीटर, (3 तल बिल्डिंग सहित)), भदरखास, रामघाट, परगना-देहात अमानत, जिला वाराणसी सम्बन्धी आवेदन जरिये उपरोक्त फर्म के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी श्री दीपक सोप्पा (आधार संख्या-439176733711) ब्रांच मैनेजर, वाराणसी मो0 9899192376 द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र व *Invest UP* के अन्तर्गत पंजीकृत इन्वेस्टमेंट इंटेन्ट फार्म (INTENT ID-23022376 दिनांक 08.03.2023, Project Name-Hotel Project tie-up with Taj Hotel) एवं *प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यटन अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-2089/41-1-2024/सीएन-1840812/2024 दिनांक 24.08.2024(मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024 अनुकूली पुनः उपयोग "Adaptive Reuse" के माध्यम से मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0 लि0 द्वारा वाराणसी में रामघाट पर पूर्व में निर्मित भवन को प्रस्तावित होटल अवंतिका में परिवर्तित किये जाने हेतु आहूत बैठक की कार्यवृत्त में प्रदत्त निर्देश के क्रम में)*, महानिदेशक, पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा श्रीवारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बजट-होटल 'अवंतिका' हेतु निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या-बीएआर/03/टीपी036/2024 दिनांक 30.09.2024 तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की आख्या संख्या-13/वि0प्रा0/भवन(जोन-3)/2025-26 दिनांक 03.04.2025, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी की आख्या संख्या-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2010 दिनांक जुलाई 30, 2025, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन वाराणसी जोन की आख्या संख्या-386/वि0सु0नि0/वारा0-जो0/सराय एक्ट-2025-26 दिनांक 01.08.2025, सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, क0मि0 वाराणसी की आख्या संख्या-व-18/2025 दिनांक 14.05.2025, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी की आख्या संख्या-14/मु0क0नि0अ0/2025-26 दिनांक 17.04.2025, तहसीलदार, सदर वाराणसी की आख्या दिनांक 24.04.2025, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी की आख्या संख्या-186/कैम्प-सराय-अधि0/2025 दिनांक 04.04.2025 तथा उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल, वाराणसी की आख्या संख्या-1537/ प0के0वा0-स0एक्ट/2025 दिनांक 29.03.2025 के क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी की आख्या संख्या-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2010 दिनांक 31.07.2025 में निहित शर्त कि आवेदक upfireservice.gov.in पर आवेदन कर अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं अंतिम पंजीयन प्राप्त किये जाने हेतु एक साल की अवधि प्रदान करते हुए तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने एवं वांछनीय व्यवस्थाओं को पूर्ण किये जाने की शर्त पर इकाई का संचालनपूर्व उक्तानुसार मात्र अनंतिम रूप से सराय अधिनियम के अन्तर्गत अधोवर्णित विवरण के अनुसार निम्न होटल का सशर्त पंजीयन निम्नोक्त शर्तों के साथ इस कार्यालय में कर लिया गया है:-

1-क्रम संख्या-	0005-566
2-बजट होटल का नाम-	अवंतिका(Srivaari Chemicals (P) Ltd.)(बजट होटल)
3-स्थान-	म0नं0 के0-24/2, 24/3, 24/4, 24/9, के0-24/102 एवं के0-24/2-ए (आराजी संख्या-5739 (अंश) रकबा 1120 वर्गमीटर,(3 तल बिल्डिंग सहित)), भदरखास, रामघाट, परगना-देहात अमानत, जिला वाराणसी
4-प्रोपराइटर का नाम व पता	श्री शिव प्रसाद कोन्डा पुत्र हारानाथ गुप्ता निवासी-9डी0 करनेश्वर, कोएल, स्ट्रीट लेन-1, मैलापोर चेन्नई तमिलनाडु(मो0)
5-प्रबन्धक का नाम व पता	श्री दीपक सोप्पा निवासी शिवपुर वाराणसी (मो0)
6-रजिस्ट्रेशन करने की तिथि	अगस्त, 12-,2025

7-अन्य विवरण एवं शर्तें:-

1- सराय एक्ट-1867 अधिनियम संख्यांक-22 अन्तर्गत यह अनंतिम पंजीयन भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय इत्यादि के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस विषय पर बनाए गए सुसंगत एवं प्रवृत्त विधि व्यवस्था/प्राविधानों के अधीन होगा। उपरोक्त किसी भी विधि के उल्लंघन पाए जाने की दशा में यह पंजीयन उल्लंघन के दिनांक अथवा पंजीयन के दिनांक से(जो भी लागू हो) स्वतः निरस्त माना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2- प्रस्तावित ईकाई द्वारा अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण एवं सम्बन्धित विभागों के मानकों एवं शर्तों को पूर्ण करने तथा अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त शर्तानुसार ईकाई का संचालन किया जायेगा।

3- यह पंजीयन किसी भी दशा में भूमि अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की पुष्टि नहीं करता। चूंकि यह पंजीयन सम्पत्ति/भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में आवेदक के शपथ-पत्र की घोषणा के आधार पर किया गया है। यदि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय स्तर से भूमि/सम्पत्ति इत्यादि के स्वामित्व के सम्बन्ध में शपथ-पत्र में घोषित तथ्यों के असत्य होने की पुष्टि होती है तो यह पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

4- इस रजिस्ट्रेशन की एक प्रति मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे नियमों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित होटल का निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा किसी भी समय अग्निशमन व्यवस्था मानक के अनुसार न पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें।

5- आवेदक को प्रस्तावित बजट होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में वाराणसी विकास प्राधिकरण की महायोजना एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन स्वयं करना होगा। इस हेतु इन्हें सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से अपेक्षित बजट होटल/भू-उपयोग के अनुरूप स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसार स्थल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण करने बाद विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही स्थल पर बजट होटल का संचालन किया जायेगा। अन्यथा की दशा में पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

6- उक्त भवन/सराय में विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा के कार्यालय के निर्देशानुसार विद्युत सर्किट की व्यवस्था की जाय तथा समय-समय पर उक्त विभाग से सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाय। उक्त भवन में किसी भी प्रकार का बदलाव या जनरेटर स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए नियमानुसार अवश्य अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

7- आवेदक द्वारा उ0प्र0 होटल एवं पूरक आवास (नियंत्रण), विनियमावली, 2023 दिनांक 28 जून, 2023 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8- सराय अधिनियम की धारा-7 के प्राविधानों का उल्लंघन करने अथवा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर ... पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(विनय कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल एवं पर्यटन)
वाराणसी।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, वाराणसी महोदय को सादर प्रेषित।
2- जिलाधिकारी, वाराणसी महोदय को सादर प्रेषित।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, पिकअप भवन, लखनऊ, उ0प्र0 226010।
4- उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उनके पत्र संख्या-13/वि0प्रा0/ भवन(जोन-3) /2025-26 दिनांक 03.04.2025 के क्रम में पत्र में उल्लिखित विभिन्न मरम्मत/पुनर्निर्माण अनुज्ञा पत्रों में उल्लिखित विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन स्थल पर कराना सुनिश्चित करें।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम/तहसीलदार, सदर वाराणसी/संयुक्त निदेशक, पर्यटन/सहायक पुलिस आयुक्त,(प्रशासन) /सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, वाराणसी।
6- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी को उनकी सशर्त आख्या संख्या-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2010 दिनांक 31.07.2025 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विहित शर्तों का स्थल पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7- आवेदक- श्री शिव प्रसाद कोन्डा पुत्र हारानाथ गुप्ता निवासी-9डी0 करनेश्वर, कोएल, स्ट्रीट लेन-1, मैलापोर चेन्नई तमिलनाडु।

अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल एवं पर्यटन)
वाराणसी।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं0–   /2024 श्री अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में इन्स्ट्रक्शन निम्नवत हैः–

प्रकरण आराजी सं0–5739 मौजा–शहरखास, परगना–देहात अमानत, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी विषयक है। गंगा नदी के किनारे स्थित रामघाट आराजी सं0–5739, मौजा–शहरखास पर स्थित है स्थल पर नगर निगम की कुल भूमि 1633.81 वर्गमीटर है जो बशक्ल खुली भूमि व निर्मित भवन के रूप में है।

उक्त स्थल को म्यूनिसिपल बोर्ड वाराणसी द्वारा श्री मुरारी लाल मेहता वगैरह को दिनांक–20.04.1956 को 30 वर्ष हेतु पट्टे पर दिया गया था, जिसकी अवधि वर्ष 1986 मे समाप्त हो गयी है। उक्त स्थल का कब्जा वर्तमान मे नगर निगम के पास है तथा नगर निगम की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नही है। उक्त स्थल पर 11 मीटर X 11.80 मीटर = 129.80 वर्गमीटर का भवन व शेष भूमि सीढ़ी/छत की भूमि के रूप में है।

श्री मेहता के पट्टे की अवधि के समाप्ति के पश्चात मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीवारी केमिकल्स प्राईवेट लि0 ने पत्र दिनांक–01.07.2023 के द्वारा उक्त स्थल को पट्टे पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में मा0 सदन मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारोपरान्त मा0 सदन द्वारा मद सं0–11 दिनांक–20.09.2024 को पारित संकल्प सं0–99 के द्वारा शर्तो के अधीन कुल उपलब्ध भूमि 1633.81 वर्गमीटर मे से मात्र 1120 वर्गमीटर (129.80 वर्गमीटर भवन + 980.20 वर्गमीटर खुली भूमि) श्रीवारी केमिकल्स प्राईवेट लि0 को लीज रेंट पर दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। शेष 513 वर्गमीटर रास्ते व घाट के उपयोग में है। नगर निगम की इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार नवनिर्माण नही हो रहा है।

श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा भवन सं0–के.24/2, 3, 4 व 9 को क्रय करके वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी से पत्राचार करते हुए स्थल पर सौन्दर्यीकरण व मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिसका नगर निगम की भूमि से कोई भी सरोकार नही है।

28/01/25

28/01/2025

28.01.25

(52)

Scanned with OKEN Scanner

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

नजरी नक्शा राममन्दिर, गली, मकान, वाल्कनी युमा चबूतरा (न०नि०) व श्री वारी केमिकल का भवन/भूमी मौजा-शहर खास मोहल्ला घाट/रामघाट

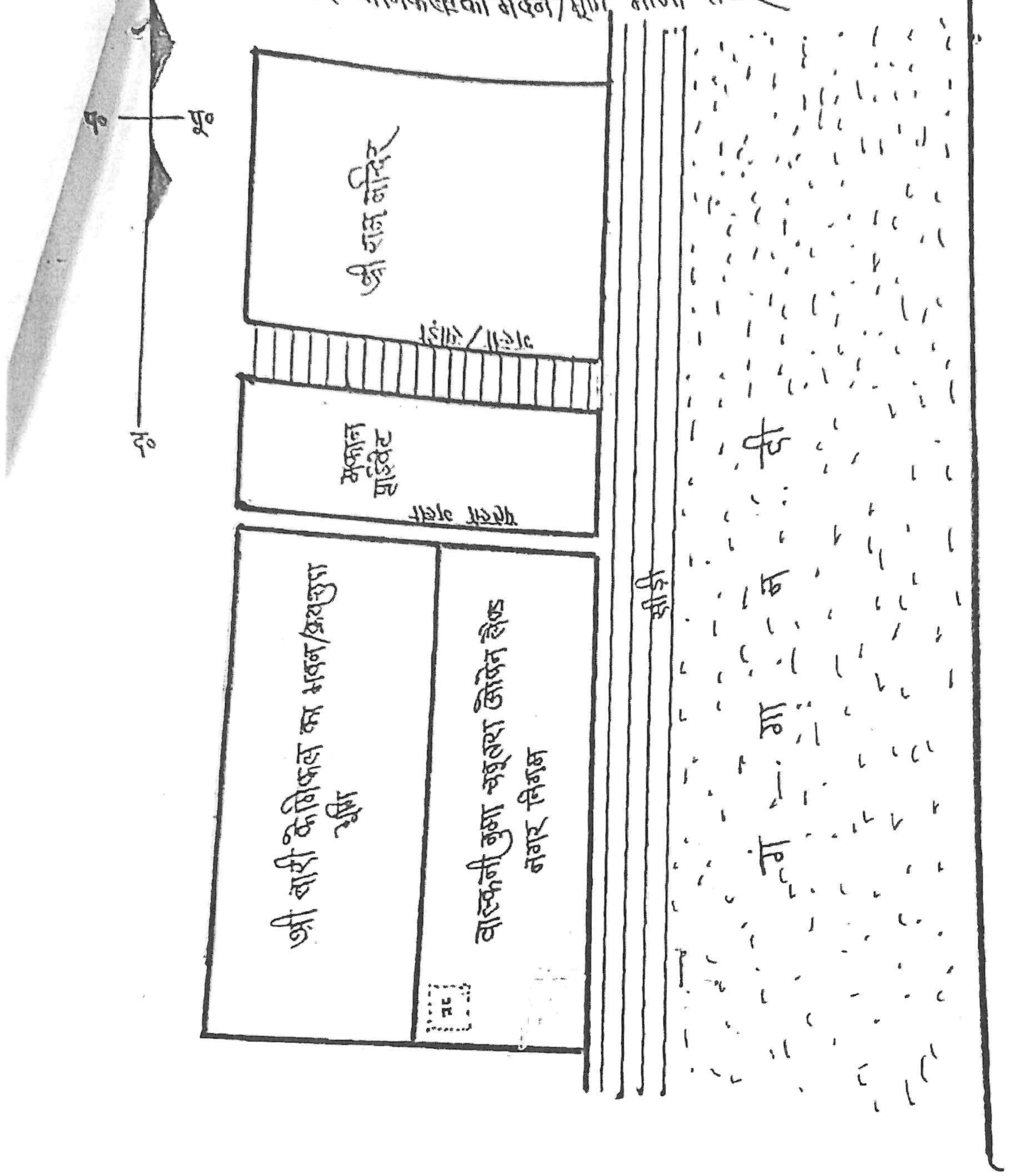

दि०२४|०|२०२५

(51)

Scanned with OKEN Scanner

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)
दूरभाष/फैक्स-0524 2585574 ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांकः-1799 /29-1, दिनांक, वाराणसी, नवम्बर, 01 2025 ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025 - अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ : परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 540/768(10)/SMCG-UP/07 दिनांक 06/10/2025 एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F.No.L-25012(11)/12/225-O/O ED(TECH) NMCG दिनांक 19/09/2025 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत करना है की राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली द्वारा तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट तैयार कर, तथ्यात्मक निष्कर्ष, अवलोकन, की गई कार्रवाई और सिफारिशों का विवरण देते हुए प्रस्तुत की जानी है। जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी कार्यालय के पत्रांक संख्या 1950/29-1 दिनांक 10/10/2025 के माद्यम से सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड वाराणसी, अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग वाराणसी को अवगत कराया गया था |

अतः उपरोक्त के क्रम में सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड वाराणसी, अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग वाराणसी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट संकलित कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

पत्रांकः-1799 /समदिनांकित ।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

So

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्गए पन्ना लाल पार्क वाराणसी.221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति,
वाराणसी।

पत्रांक :- 965 /वि0प्रा0/भवन(जोन-3)/2025-26 दिनाकः- 26/10/2025

विषय :- पत्र संख्या-1950/29-1 दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री अनुराग सिंघल के आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए संदर्भित प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही से अवगत कराये जाने की आपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नियमानुसार आख्या तैयार कर एतद् पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

28/10/25

सचिव।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

जांच आख्या

कृपया कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी, वन प्रभाग, वाराणसी के पत्रांक–1950/29–1 दिनांक 10.10.2025 द्वारा विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025– अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित है, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र(एच0एफ0एल0) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में वा0वि0प्रा0 वाराणसी के स्तर से स्थल निरीक्षण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तदक्रम में आख्या निम्नवत् हैः–

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री दीपक सोप्पा अधिकृत हस्ताक्षरी श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा गंगा किनारे स्थित भवन संख्या–के0–24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली स्थित भवन पर 1330.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु एवं भवन संख्या के0–24/02 मोहल्ला–रामघाट वार्ड–कोतवाली, स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु तथा आराजी संख्या–5739(पार्ट) मौजा–शहरखास परगना–देहात अमानत वार्ड–कोतवाली वाराणसी स्थित भवन पर मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के क्रम में पी0आई0एल0 संख्या–31229/2005 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्गत आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0–049/8–3–15–103 विविध/15 दिनांक 11.03.2015 एवं दिनांक 17.08.2015 में उल्लिखित प्रावधानों तथा नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार (चिट्ठा वर्ष–1976 से पूर्व वार्ड–कोतवाली) के क्रम में निर्माणकर्ता श्री दीपक सोप्पा अधिकृत हस्ताक्षरी श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 को भवन संख्या–के0–24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला–रामघाट वार्ड–कोतवाली स्थित भवन पर 1330.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति दिनांक 14.08.2023 (संलग्नक–01) के माध्यम से एवं भवन संख्या के0–24/02 मोहल्ला–रामघाट वार्ड–कोतवाली, स्थित भवन पर 169.78 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति दिनांक 19.08. 2023 (संलग्नक–02) तथा आराजी संख्या–5739(पार्ट) मौजा–शहरखास परगना–देहात अमानत वार्ड–कोतवाली वाराणसी स्थित भवन पर 129.80 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति दिनांक 05.03.2025 (संलग्नक–03) के माध्यम से प्रदान की गयी है। **"उक्त प्रकरण में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के दौरान पाया गया कि भवन संख्या के0–24/2, 3, 4 व 9 मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली एवं भवन संख्या के0–24/102 मोहल्ला–रामघाट तथा आराजी संख्या–5739(पार्ट) मौजा–शहरखास परगना–देहात अमानत वार्ड–कोतवाली पर उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति प्राप्त करके निर्माण किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नहीं किया गया है।"** मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा वाराणसी में रामघाट पर स्थित पूर्व निर्मित भवन को अनुकूली पुनः उपयोग (**Adaptive Reuse**) के अन्तर्गत हेरिटेज होटल में परिवर्तित किये जाने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2024(संलग्नक–04) को दस सदस्यीय बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में लिये गये निर्णय निम्नवत् हैः–

1. **The 1120 Sqm land lease as it was given to previous owner be given to the new owner of the property adjacent to this land for 30 years on rental agreed mutually by the Municipal Corporation and the owner of the property. (Time one week action by the Municipal commissioner, Varanasi)**
2. **The buyer of the property can take up renovation retrofitting repair and conservation works inside the building without impaction the**

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

facade. (Time one week action by the Vice Chairman Development Authority Varanasi)

3. Culture Department to issue adaptive reuse permission and register the hospitality unit in 15 days time(Time two weeks action by the principal Secretary Culture.)

उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में भवन संख्या–के0–24/2, 3, 4 व 9, के0–24/102 व के0–24/2–ए (आराजी संख्या–5739 अंश) शहरखास रामघाट परगना–देहात अमानत जिला–वाराणसी पर पर्यटन नीति–2022 के अन्तर्गत विरासत भवन को अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) अन्तर्गत पत्र संख्या–587/प0के0वा0–पर्यटन नीति–22/25 दिनांक 29 अगस्त 2025 के माध्यम से बजट होटल में पंजीकृत (पंजीकरण संख्या वी0ए0आर0/03/टी0पी0036/2024) **(संलग्नक–05)** में किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रभावी व प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 के अध्याय–1 के प्रस्तर–1.6 सेक्टोरल नीतियां में उल्लिखित है कि **"यदि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित विभिन्न सेक्टोरल नीतियों के प्राविधान उपविधियों से भिन्न है तो वो प्रभावी होंगे। यदि सेक्टोरल नीतियों के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 भवन की ऊचाई अनुषांगिक/मिश्रित उपयोग जैसे मापदण्डों से सम्बन्धित विशिष्ट प्राविधान उपविधियों की अनुमन्य सीमाओं से अधिक निर्धारित किए गये है तो वे मान्य होंगे।"** उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त उपविधि के अध्याय–05 के प्रस्तर 5.3.9 में उल्लिखित है कि **"ऐसे भवन जिनके पर्यटक विभाग द्वारा हेरिटेज भवन घोषित किया गया है उसमें विद्यमान आवासीय/गैर आवासीय भवनों का होटल के रूप से अनुकूलनीय पुनः उपयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य होगा।"** उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी स्वीकृतियां विधि सीमाओं के अन्तर्गत नियमानुसार प्रदान की गयी। यहा यह भी अवगत कराना है कि इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज **(INTACH)** **(संलग्नक–06)** के पत्र दिनांक 03.10.2025 द्वारा भी मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 रामघाट वाराणसी को हेरिटेज बिल्डिंग से होटल कन्वर्जन की सहमति प्रदान की गयी है। उक्त प्रकरण में पूर्व में दाखिल पी0आई0एल0 संख्या–54/2025 अनुराग सिंघल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.02.2025 को प्रथम सुनवाई पर ही उक्त जनहित याचिका संख्या–54/2025 पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया, जिसमें पारित आदेश का प्रभारी अंश निम्नवत् है– **"Going through the averments in the petition and the representation made, besides the fact that Mehta Hospital, a necessary party, has not been impleaded, we do not find any public interest involved in the matter. If the petitioner who is Managing Chairmen of the trust has any legal grievance qua the construction raised by the Mehta Hospital, he may approach the appropriate authority/civil court for remedy. 4 In view of the above, petition is dismissed."**

उक्त के क्रम में आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

Gaurav
2-0-3

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

(संलग्नक-1)

सेवा में,

श्री दीपक सोप्पा ऑथॉरिज़ेड सिग्नेट्री ऑफ श्रीवारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,
निवासी–भ0सं0–के0 24/2, 3, 4, 9, मोहल्ला–रामघाट,
वार्ड–कोतवाली, वाराणसी।

पत्रांक :– 03 /वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :– 14-08-2023

विषय :– गंगा किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत स्थित भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने स्वकीय आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भ0सं0–के0 24/2, 3, 4, 9, मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली, वाराणसी स्थित भवन में मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दिया गया है। आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नगर नियोजक, जोनल अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, मानचित्रकार की संयुक्त टीम (शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा गठित समिति दिनांक 16–6–2016) द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी की आख्या/अनुशंसा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 03.08.2023 को उक्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। आपके वर्तमान निर्माण एवं वांछित मरम्मत/पुनर्निर्माण का विवरण इस प्रकार है :–

मौजूदा भवन का विवरण :–

1.	भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल–	1330.76 वर्गमीटर।
2.	चौहद्दी–	उत्तर–मकान नं0–के 24/103 (आराजी नं0–5699 पार्ट), दक्षिण–मकान नं0–के 24/1 (आ0नं0–5739 विश्वनाथ ब्रम्हचारी पाठशाला), पूरब– प्लाट नं0–5739 पार्ट (गंगा नदी) पश्चिम–गली (23.58 मी0)
3.	निर्माण चिट्ठा के अनुसार–	बेसमेण्ट+तीन मंजिला (बी+जी+2) भवन। (चिट्ठा के अनुसार) बेसमेण्ट में –2 बरामदा, 2 हाल, 5 कमरा, स्टोर, पैथालॉजी एक्स–रे विभाग, चिल्ड्रेन वार्ड, शौचालय, स्नानगृह। भूतल में– 7 कमरा, 1 डिस्पेन्सरी हॉल, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, कार्यालय, शौचालय, स्नानगृह। प्रथम तल– 3 वार्ड, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, 13 कमरा, 1 फिमेल वार्ड, मैटनिटी रूम, वातानुकूलित वार्ड, शौचालय, स्नानगृह। द्वितीय तल– 3 वार्ड, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, 13 कमरा, 1 फिमेल वार्ड, मैटनिटी रूम, वातानुकूलित वार्ड, शौचालय, स्नानगृह।
4.	अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित–	बेसमेण्ट+तीन मंजिला (बी+जी+2) मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना है। फोटोग्राफ संख्या–1 से 4 तक।
5.	वास्तुकला एवं सौंदर्य संरक्षण–	भवन गंगा नदी तट की ओर स्थित होने के कारण पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन अनुमन्य नही होगा। वास्तुकला एवं सौंदर्य पूर्व की भाँति रहेगा। गंगा नदी की ओर आने वाले फसाड़ पर पूर्व की भाँति रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा।
6.	वाराणसी विकास प्राधिकरण की 127वी बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2022 के अनुपालन में विकास शुल्क भवन निर्माण शुल्क, अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क दिनांक 07.08.2023 को पक्ष द्वारा चलान के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा किया गया।	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल – 1330.76 वर्ग मी0 भू–आच्छादन – 3506.93 वर्ग मी0 विकास शुल्क – 1330.76x132 = 175660.32 निरीक्षण शुल्क – 3506.93x23 = 80659.39 मलवा शुल्क – 3506.93x46 = 161318.78 कुल योग – = 417638.49 यानि – = 417639.00 (मात्र) (चार लाख सत्रह हजार छः सौ उनतालीस रूपया मात्र)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner
File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

उक्त अनुज्ञा निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को इस आशय की अनिवार्य रूप से

1. भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को अनिवार्य रूप लिखित सूचना दी जायेगी।
2. मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं निर्मित भवन के (सभी उपलब्ध दिशाओं से) फोटोग्राफ्स के साथ यथा समय जमा किये जायेंगे मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु जितनी अनुज्ञा दी गयी है, किसी भी दशा में उसमें विचलन नहीं होना चाहिए अन्यथा प्राधिकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
3. भवन की पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं "की प्लान", साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटो ग्राफ्स, स्थल पर मौजूदा भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेट–बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलीवेशन, आदि अन्य अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये एवं शपथ–पत्र में प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर किये गये निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है वहीं उपयोग अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किये जाने की स्थिति में इसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में नहीं किया जायेगा।
6. मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल/द्वितीय/तृतीय तल का स्लैब आदि) के फोटोग्राफ्स भी समय–समय पर प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से यथा समय जमा किये जायेगें ताकि प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यो की समय–समय पर स्थलीय पुष्टि भी की जा सके।
7. पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति होगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन में फुट–प्रिन्ट, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊँचाई में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही मरम्मत/पुनर्निर्माण अनुमन्य होगा।
8. गंगा नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौंदर्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण द्वारा विधि सम्मत सुसंगत अधिनियम/नियम/उपनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रश्नगत भवन के सामने स्थित सड़क के मध्य से 9 मीटर दूरी तक पक्ष को अपने भवन के सामने स्थित खुले चबुतरे की भूमि व मोटी दीवार के अंश भाग की भूमि मार्ग विस्तार में देने के साथ शासनादेश में उल्लेखित अन्य शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(अंश अरोरा)
16/08/2023 for दीपक मौर्या

आज्ञा से

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

पत्रांक :– 03 /वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :– 14-08-2023

प्रतिलिपि :– 1. नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन सुनश्चित कराने हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली पर।

21/08/23

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

(संलग्नक -2)

श्री दीपक सोप्पा ऑथॉरिज़ेड सिग्रेट्री ऑफ श्रीवारी केमिकल्ला प्राइवेट लिमिटेड,
निवासी–भ0सं0–के0 24/102, मोहल्ला–रामघाट,
वार्ड–कोतवाली, वाराणसी।

पत्रांक :– /वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :–

विषय :– गंगा किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत स्थित भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने स्वकीय आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भ0सं0–के0 24/102, मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली, वाराणसी स्थित भवन में मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दिया गया है। आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नगर नियोजक, जोनल अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, मानचित्रकार की संयुक्त टीम (शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा गठित समिति दिनांक 16–6–2016) द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी की आख्या/अनुशंसा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को उक्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। आपके वर्तमान निर्माण एवं वांछित मरम्मत/पुनर्निर्माण का विवरण इस प्रकार है :–

	मौजूदा भवन का विवरण :–	
1.	भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल–	169.78 वर्गमीटर।
2.	चौहद्दी–	उत्तर–मकान (राजगुरु), दक्षिण–मकान (के0 24/103), पूरब– पब्लिक लेन पश्चिम–मकान (गनेश कृष्णा)
3.	निर्माण चिट्ठा के अनुसार–	चार मंजिला (जी+3) भवन। (चिठ्ठा के अनुसार) भूतल में– दो बड़ा कमरा, दो छोटा कमरा, शौचालय, स्नानगृह। प्रथम तल– चार कमरा, शौचालय, स्नानगृह। द्वितीय तल– चार कमरा, शौचालय, स्नानगृह। तृतीय तल– चार कमरा।
4.	अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित–	तीन मंजिला (जी+3) मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य किया जाना है। फोटोग्राफ संख्या–1 से 4 तक।
5.	वाराणसी विकास प्राधिकरण की 127वी वोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2022 के अनुपालन में विकास शुल्क भवन निर्माण शुल्क, अन्वार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क दिनांक 07.08.2023 को पक्ष द्वारा चलान के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा किया गया।	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल – 169.78 वर्ग मी0 भू–आच्छादन – 493.34 वर्ग मी0 विकास शुल्क – 169.78x132 = 22410.96 निरीक्षण शुल्क – 493.34x23 = 11346.82 मलवा शुल्क – 493.34x46 = 22693.64 कुल योग – = 56451.42 यानि – = 56452.00 (मात्र) (छप्पन हजार चार सौ बावन रूपया मात्र)

उक्त अनुज्ञा निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner
File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

दीपक सोप्पा अधिकारी ... वार्ड–कोतवाली, वाराणसी ... भवन सं
–के0 24/102, मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली, वाराणसी

2. मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से मय फोटोग्राफ्स के साथ यथा समय जमा किया दी जायेगी एवं निर्मित भवन के (सभी उपलब्ध दिशाओं से) फोटोग्राफ्स के साथ यथा समय जमा किये जायेंगे मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु जितनी अनुज्ञा दी गयी है, किसी भी दशा में उसमें विचलन नहीं होना चाहिए अन्यथा प्राधिकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

3. भवन की पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं "की प्लान", साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटो ग्राफ्स, स्थल पर मौजूदा भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेट–बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलीवेशन, आदि अन्य अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये एवं शपथ–पत्र में प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर किये गये निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है वहीं उपयोग अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किये जाने की स्थिति में इसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में नहीं किया जायेगा।

6. मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल/द्वितीय/तृतीय तल का स्लैब आदि) के फोटोग्राफ्स भी समय–समय पर प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से यथा समय जमा किये जायेगें ताकि प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यो की समय–समय पर स्थलीय पुष्टि भी की जा सके।

7. पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति होगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन में फुट–प्रिन्ट, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊँचाई में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही मरम्मत/पुनर्निर्माण अनुमन्य होगा।

8. गंगा नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौंदर्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण द्वारा विधि सम्मत सुसंगत अधिनियम/नियम/उपनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10. प्रश्नगत भवन के सामने स्थित सड़क के मध्य से 9 मीटर दूरी तक पक्ष को अपने भवन के सामने स्थित खुले चबुतरे की भूमि व मोटी दीवार के अंश भाग की भूमि मार्ग विस्तार में देने के साथ शासनादेश में उल्लेखित अन्य शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

पत्रांक :–931 /वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :– 19-08-2023

प्रतिलिपि :–

1. नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन सुनश्चित कराने हेतु।
3. गार्ड फाईल।

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग– पन्नालाल पार्क, वाराणसी–221002
फोन –0542–280326, ई–मेल– vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

श्री दीपक सोप्पा, ऑथेराइज्ड सिग्नेट्री ऑफ श्रीचारी केमिकल्स प्रा0लि0,
आराजी संख्या–5739(पार्ट) मौजा–शहरखास, प0–दे0अ0,
वार्ड–कोतवाली, जिला–वाराणसी
मो0नं0–9899192376

(संलग्नक -3)

पत्रांक : 1301 /वि0प्रा0/जोनल अधि0(जोन–3)/मरम्मत अनुज्ञा/2024–25 दिनांक : 05-3-2025

विषय – गंगा नदी के किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत स्थित भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक अपने स्वकीय आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आराजी संख्या–5739(पार्ट) मौजा–शहरखास, परगना–देहात, अमानत, वार्ड–कोतवाली, वाराणसी स्थित भवन में मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दिया गया है। आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, जोनल अधिकारी, नगर नियोजक की संयुक्त टीम (शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा गठित समिति दिनांक 16.06.2016) द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी की आख्या/अनुशंसा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.03.2025 को उक्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। आपके वर्तमान निर्माण एवं वांछित मरम्मत/पुनर्निर्माण का विवरण इस प्रकार है :–

		मौजूदा भवन का विवरण :–
1.	भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल	129.80 वर्गमीटर
2.	चौहद्दी–	पूरब– गंगा। पश्चिम– भवन। दक्षिण– गणेश घाट। उत्तर–खाली प्लाट।
3.	स्थल के अनुसार व अनुज्ञा हेतु स्वीकृत	वर्तमान में नगर महापालिका वाराणसी का 17.09.1963 का जारी मानचित्र के अनुसार तलों पर पूर्व में स्वीकृत मानचित्र अनुसार निर्माण विद्यमान है। तीन मंजिला (जी+2) भवन। भूतल– 03 कमरा, एक किचन इत्यादी। प्रथम तल– 02 कमरा एक किचन इत्यादी। द्वितीय तल– 02 कमरा, एक किचन इत्यादी।

<u>उक्त अनुज्ञा निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है</u> :–

1. भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को इस आशय की अनिवार्य रूप से लिखित सूचना दी जायेगी।
2. मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं निर्मित भवन के (सभी उपलब्ध दिशाओं से) फोटोग्राफ्स के साथ यथा समय जमा किये जायेंगे मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु जितनी अनुज्ञा दी गयी है, किसी भी दशा में उसमें विचलन नहीं होना चाहिए अन्यथा प्राधिकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
3. भवन की पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं "की–प्लान" साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटोग्राफ्स स्थल पर मौजूदा भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेट–बैक सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलीवेशन आदि अन्य अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये एवं शपथ–पत्र में प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजो में कोई विसंगति पाये जाने पर अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर किये गये निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

4. भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा भवन जिस उपयोग में लाया रहा है वहीं उपयोग अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किये जाने की स्थिति में इसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगा।
5. सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में नहीं किया जायेगा।
6. मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल/द्वितीय/तृतीय तल का स्लैब आदि) के फोटोग्राफ्स भी समय-समय पर प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से यथा समय जमा किये जायेगें ताकि प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की समय-समय पर स्थलीय पुष्टि भी की जा सके।
7. पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति होगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन में फुट-प्रिन्ट, भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 तथा भवन की ऊचाई में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही मरम्मत/पुनर्निर्माण अनुमन्य होगा।
8. गंगा नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौन्दर्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लघंन की दशा में प्राधिकरण द्वारा विधि सम्मत सुसंगत अधिनियम/नियम/उपनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रश्नगत भवन के सामने स्थित सड़क के मध्य से 4 मीटर दूरी तक पक्ष को अपने भवन के सामने स्थित खुले चबुतरे की भूमि व मोटी दीवार के अंश भाग की भूमि मार्ग विस्तार में देने के साथ शासनादेश में उललेखित अन्य शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए शासनादेश संख्या-049/8-3-15-103 विविध/13, दिनांक 11-3-2015 का पूर्णतया पालन करना होगा।
12. एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
13. सडक सर्विस लेन सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्व प्रबन्धन स्वयं करना होगा।
14. सडक पर कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपनी ही भूमि पर सम्पन्न करना होगा।

भवदीय,

जोनल अधिकारी
जोन-3

पत्रांक : 130 H/वि0प्रा0/जोनल अधि0(जोन-3)/मरम्मत अनुज्ञा/2024-25 दिनांक : 05-3-2025
प्रतिलिपि :-

1. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं पाक्षिक निर्माण की जांच हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली पर।

जोनल अधिकारी
जोन-3

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(संलग्नक 4)

वाराणसी।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11-08-2024 अपरान्ह 03:00 बजे अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) के माध्यम से मेसर्स श्रीवारी केमिकल्स प्रा0 लि0 द्वारा वाराणसी में रामघाट पर पूर्व में निर्मित भवन को प्रस्तावित होटल अवंतिका में परिवर्तित किये जाने हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्तः-

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची निम्नवत है:

1. श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त, वाराणसी।
4. श्री एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. श्री पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
6. सुश्री ईशा प्रिया, निदेशक पर्यटन (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय।
7. श्री प्रखर मिश्रा, निदेशक (ईको टूरिज्म), पर्यटन निदेशालय।
8. श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय।
9. श्री राजेन्द्र कुमार रावत, उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी।
10. श्री के0 शिवा प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, मे0 श्रीवारी केमिकल्स प्रा0 लि0।

कृते जिलाधिकारी
प्रभारी अधिकारी
अभिलेखागार (आ...)
वाराणसी

सर्वप्रथम विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि मे0 श्रीवारी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा वाराणसी में गंगा जी के तट पर स्थित रामघाट पर पूर्व निर्मित भवन को एडाप्टिव रीयूज़ के अन्तर्गत हेरिटेज होटल में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 पर्यटन विभाग के पोर्टल पर दिनाँक 11-01-2024 को हॉस्पिटेलिटी यूनिट के रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया गया। यह प्रस्ताव पर्यटन नीति-2022 के अन्तर्गत दिनाँक 01-04-2024 को जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित "जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी" के निरीक्षण/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उद्यमी श्री के0 शिवा प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी के रामघाट पर उनकी कम्पनी द्वारा हेरिटेज होटल बनाया जा रहा है, जिसे एक प्रतिष्ठित होटल चेन के माध्यम से संचालित कराया जायेगा। पर्यटन नीति-2022 के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित इकाईयों को अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) के माध्यम से हेरिटेज होटल इकाई में परिवर्तित किये जाने का प्राविधान है। इसी वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित भवन को हेरिटेज हॉस्पिटेलिटी यूनिट के रूप में विकसित किया जायेगा। गंगा नदी तट की ओर से अतिथियों/पर्यटकों के सुगम आवागमन तथा रिवर साईड फ्रण्टेज को आकर्षक बनाने हेतु नगर निगम, वाराणसी के स्वामित्व वाली अनेक वर्षों से अनुपयोगी रिक्त 1120 वर्गमीटर भूमि को नगर निगम की शर्तों पर लीज़ पर प्रदान करने का प्रस्ताव है। साथ ही वर्तमान भवन के संरक्षण (बिल्डिंग कन्जर्वेशन), नवीनीकरण, उच्चीकरण, रेट्रोफिटिंग, मरम्मत तथा भवन उपयोग परिवर्तन हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता है।

3. बैठक में प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

1. The 1120 sq. mt land lease as it was given to previous owner be given to the new owner of the property adjacent to this land for 30 years on rental agreed mutually by the Municipal Corporation and the owner of the property. (Time one week, Action by the Municipal Commissioner, Varanasi)

Scanned with OKEN

Scanned with OKE

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

2. The buyer of the property can take up renovation, retrofitting, repair and conservation works inside the building without impacting the facade. (Time one week. Action by the Vice Chairman, Development Authority, Varanasi)
3. Culture Department to issue adaptive reuse permission and register the hospitality unit in 15 days time.(Time two weeks, Action by the Principal Secretary, Culture).

अन्त में बैठक धन्यवाद सम्पन्न हुई।

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-2089/41-1-2024/CN-1840812/2024
लखनऊः दिनाँकः25अगस्त, 2024

उक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. विशेष सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी।
8. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
10. श्री के0 शिवा प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, मे0 श्रीवारी केमिकल्स प्रा0 लि0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Sanjiv Kumar Srivastava
Date: 24-08-2024 14:52:47
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298...)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–संयुक्त निदेशक पर्यटन
वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल, वाराणसी।

संलग्नक –6

फोन नं0: 0542-2505033, ई–मेल: uptvns@gmail.com

पत्रांक 587 /प0के0वा0–पर्यटन नीति–22/25 दिनांक 29 अगस्त, 2025

सेवा में,

मेसर्स श्रीवारी कैमिकल्स प्रा0लि0,
रामघाट, वाराणसी।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पर्यटन नीति–2022 अन्तर्गत पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या VAR/03/TP036/2024 दिनांक 01.10.2024 के संदर्भ में Adaptive Reuse अन्तर्गत बजट होटल कैटगरी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, के संदर्भ में पर्यटन विभाग से पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

आपके उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यटन नीति–2022 अन्तर्गत अवंतिका, पता–No. K-24/2, 24/3, 24/4, 24/9, 24/102 VILLAGE SHAHAR KHAS, MOHALLA RAMGHAT, KOTWALI, PARGANA DEHAT AMANAT TEHSIL, VARANASI Proposed by SRIVAARI CHEMICALS (P) LTD को पर्यटन नीति–2022 अन्तर्गत विरासत भवन (हेरिटेज बिल्डिंग) को अनुकूली पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) अन्तर्गत बजट होटल में पंजीकृत किया गया है। कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

29.08.25

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक पर्यटन,
वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डल,
वाराणसी।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am
Scanned with OKEN Scanner

INTACH
VARANASI CHAPTER
Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

(संलग्नक - 6)

Ashok Kapoor
Convener
Varanasi Chapter

Date

To, 03/10/2025

M/S.SRIVAARI CHEMICALS (P)LTD
Door no. K-24/2, 24/3, 24/4, 24/9, K-24/102 and K.24/2-A
Shaharkhas, Ramghat, Pargana Dehat Amanat,
Varanasi- 221001

Dear Sir,

Subject: Certification of Heritage Building to Hotel Conservation.

With reference to your mail , the following INTACH members visited your property on 01.10.2025.

The Following 6 member INTACH team visited your site .

1)Anurag Chandra- Addl Co Convener INTACH Varanasi and a leading builder/exporter.
2)Anil Keshari- Addl Co Convener INTACH Varanasi and a leading wholesaler of Spices and dry fruits.
3)Abhijit Agrawal- INTACH Member Hotelier.
4)Akhilesh Kumar - INTACH member. Coordinator Heritage Tourism Cell of INTACH Varanasi. President Tourist Guide Association Varanasi.
5)Jainendra Rai- INTACH member. Coordinator Heritage Walk Group of INTACH Varanasi. Convener and Past President Tourist Guide Association. Honorary Gen Sec - Home Stay and bnb Association of VARANASI. Joint secretary Varanasi Tourism Guild .
6)Ashok Kapoor Convener INTACH Varanasi and Member National Level Heritage Tourism Advisory Committee of INTACH Delhi.

We are happy to notify the below points during your site visit.

1)This heritage building façade is bringing back old Benares heritage features aligned with Varanasi Ghats.
2)From the Ganges view hand railing Jalli is made with local chunar stone adding more beautification to the entire building.
3) Ghat pathway is repaired with Chunar stone for comfortable walk to the pedestrians.
4) We found , 50KLD STP plant was erected for water treatment and there will be no pollution from this hotel.
5) We found CPCB IV + rated 2 no's 320 KVA Capacity of Gensets with proper Chimney for pollution free environment .

D. 59/103, D-1, Sigra, Varanasi-221010 Mob: 9839150160 Ph # 0542-2221941 e-mail : ashokkapoorvaranasi@yahoo.in

Scanned with OKEN Scanner
File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

INTACH
VARANASI CHAPTER

Indian
National Trust
for Art and
Cultural Heritage

Ashok Kapoor
Convener
Varanasi Chapter

Date

-2-

6) There is no change in the entire property except renovation to bring back to the usage for Hotel Usage.
7) We found 65 KW Solar plant on the rooftop to generate green energy.

Now , we here by confirm this heritage hotel building conservation work is near completion according to the heritage principles and we are happy about this hotel coming on the Ghats.

With best regards

For INTACH Varanasi Chapter

ASHOK KAPOOR Convener	Akhilesh Kumar Member	Jainendra Rai Member

D. 59/103, D-1, Sigra, Varanasi-221010 Mob: 9839150160 Ph # 0542-2221941 e-mail : ashokkapoorvaranasi@yahoo.in

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0 / Ref.No. 819/OA No. 259/2025-26 दिनांक / Date 16/10/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति, वाराणसी।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 259 / 2025 अनुराग सिंघल बनाम भारत सरकार एवं अन्य, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1950 / 29–1, दिनांक अक्टूबर 10, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र मेसर्स श्री वाली केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनाधिकृत संरचनात्मक संशोधनों और विस्तार से पूर्व में स्थापित मेहता अस्पताल को वाणिज्यिक होटल में बदलने से सम्बंधित है। उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि संदर्भित संस्था द्वारा सी0टी0ओ0 प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2025 निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। संदर्भित आवेदन पत्र के परीक्षणोंपरांत पाया गया कि संदर्भित इकाई द्वारा पूर्व से स्थापित मेहता अस्पताल को सम्बंधित विभिन्न विभागों से अनुमतियॉ प्राप्त कर वाणिज्यक होटल में परिवर्तित किया जा रहा है। संदर्भित इकाई द्वारा प्राप्त की गई अनुमतियों का विवरण संलग्न–1 के रूप में संलग्न है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि संदिर्भत इकाई का निरीक्षण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 259 / 2025 अनुराग सिंघल बनाम भारत सरकार एवं अन्य के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.09.2025 को किया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है तथा वाद में सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् राज्य बोर्ड के स्तर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक–यथोपरि।

प्रतिलिपि– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, मेलूपुर, वाराणसी–221010, दूरभाश : 0542–2275951, फैक्स : 0542–2275951
मुख्यालय: टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाश : 0522–2720828, 2720681, 2720831, फैक्स : 0522–2720764
ई–मेल : info@uppcb.com

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

NOC/Registration details of Avantika (M/s Srivaari Chemicals (P) Ltd.) House No. K 24/2, 24/3, 24/4, 24/9, K 24/102 and K 24/2-A, Sharkhas, Ramghat, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi is as given below in tabular form:-

S.No.	Department name	NOC/Registration/ Permission details with file no.	Issued Date	Remark
1	ADM (Protocol & Toursim) Department, Varanasi	Vide letter No. 775/Protocol-Saray/2025	August 12, 2025	Registration for 45 Rooms
2	Deputy Director Toursim, Varanasi and Vindhyachal Division, Varanasi	Vide letter no. 1537/PaKeVa-S act/2025	March 29, 2025	NOC
3	Varanasi Development Authority, Varanasi	Vide letter 03/Vipra/Bhawan (Zone-Kotwali)/Repair permission/2023-24 & Vide letter 231/Vipra/Bhawan (Zone-Kotwali)/Repair permission/2023-24	14-08-2023 19-08-2023	Permission granted for Building repair and renovation
4	Varanasi Development Authority, Varanasi	Vide letter 13/Vipra/Bhawan (Zone-2)/2025-26	03-04-2025	For saray registration suporting documents
5	Public Works Department, Varanasi	1861/Camp-Sarai/2025	04-04-2025	-
6	Nagar Nigam Varanasi	Vide letter 14/Mu.k.ni.a./2025-26	17-04-2025	-
7	police commissionerate, Varanasi	Vide letter no. 18/2025	May 14, 2025	
8	Fire Department, Varanasi	Vide letter no. UPFS/2025/174613/VRN/ VARANASI/5550/CFO	07-10-2025	-
9	Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), Varanasi	-	03-10-2025	Certificate issue to Heritage Building to Hotel Conservation.
10	Department of Toursim, Lucknow, U.P.	VAR/03/TP036/2024	30-09-2024	Registration Certificate issued
11	Principal Secretary, Toursim Department-1, U.P. Govt. MoM regarding conversion of Heritage Hotel	Vide letter no. 2089/41-1-2024/CN-1840812/2024	August 24,2024	-

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

12	Varanasi Development Authority, Varanasi	VDA-BULDOMANR/74/2025-BULD-VDA	26.09.2025	MoM of Herigate Committee Meeting dt. 09.09.2025 held under Chairmanship of VC-VDA
13	Nagar Nigam Varanasi	Instruction submitted to Hon'ble High Court of Allahabad regarding butification and repair/renovation of the building	28.01.2025	In the matter of Writ no. -----/2024 Shri Anurag Singhal vs U.P. Govt. and Ors.
14	Varanasi Development Authority, Varanasi	Instruction submitted to Hon'ble High Court of Allahabad regarding butification and repair/renovation of the building	22.01.2025	In the matter of Writ no. -----/2024 Shri Anurag Singhal vs U.P. Govt. and Ors.

Inspection report of the complaint site in respect of the complaint made by Shri Anurag Singhal in compliance of the order dated 26.05.2025 passed in Original Application No. 259/2025 (IA No.-399/2025) Anurag Singhal vs Union of India & others filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

In compliance with the order dated 26.05.2025 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 259/2025 (IA No.-399/2025) "Anurag Singhal vs Union of India & others" complaint by Shri Anurag Singhal, resident of House No. A-21, T/F Back Side, Flat No. D2, KH No. 455, Indra Enclave, Neb Sarai, South Delhi, IGNOU, Delhi against of M/s Shri Vari Chemicals Pvt. Ltd. Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Passed following order.

"...1. *In this original application (OA), allegation of the applicant is against construction being raised by respondent no.9-Sri Vaari Chemicals Private Limited by the side of river Ganga in Varanasi.*

2. *Applicant alleges that there was a heritage charitable institutionMehta Hospital existing as a three-storey charitable health facility situated approximately 100 feet from river bank and within the High Flood Level Zone (HFLZ).*
3. *Applicant further alleges that respondent no.9 has started construction of additional floors on the top of the existing structure as well as expanding the horizontal area beyond the original built-up area to convert it into a commercial hotel.*
4. *Submission of Learned Counsel for the applicant is that High Court of Allahabad in Public Interest Litigation (PIL) No. 4003/2006 : Re Ganga Pollution vs. State of UP & Ors. by order dated 21.07.2003 has put 2 restriction upon any construction within 200 meters from bank of river Ganga in Varanasi......"*

In compliance of above order site inspection was conducted by this office on 24.09.2025 in respect of complaint. At the time of inspection, Mr. Deepak Sopa, Branch Manager and Mr. Wilson, Project Manager were present as unit representatives. According to the facts found during the field inspection and the information provided by the representative present, the detailed inspection report is as follows -

1. During the inspection, the representative informed that the total area of the plot is 1330.76 square meter and covered area is 3506.93 square meters. Construction of the 45 rooms, 6 suites, and 45-seated restaurant is nearly complete. During inspection, construction of the unit and finishing work was ongoing adjacent to the River Ganga.
2. At the time of inspection, 50 KLD capacity of STP was found installed for treatment of domestic effluent generated from the unit.
3. At the time of inspection 02 nos DG sets of 320 KVA capacity were found installed for uninterrupted power supply in which the chimneys were not installed as per norms.
4. As per office records, No Objection Certificate (NOC) for establishment and Consent to Operate (Water and Air) has not been granted from the State Board.
5. The photographs taken during inspection are as follows -

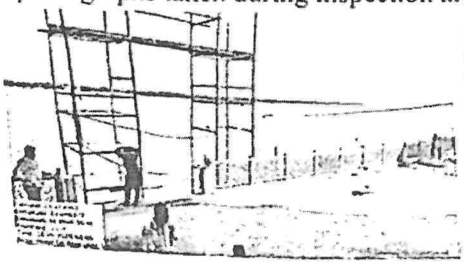

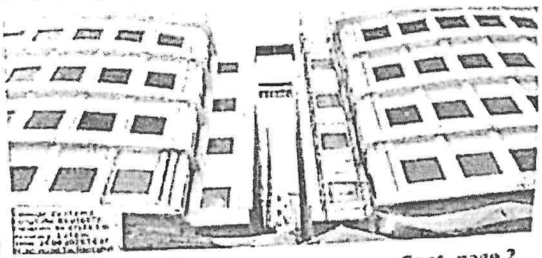

Cont. page 2

Scanned with OKEN Scanner

(2)

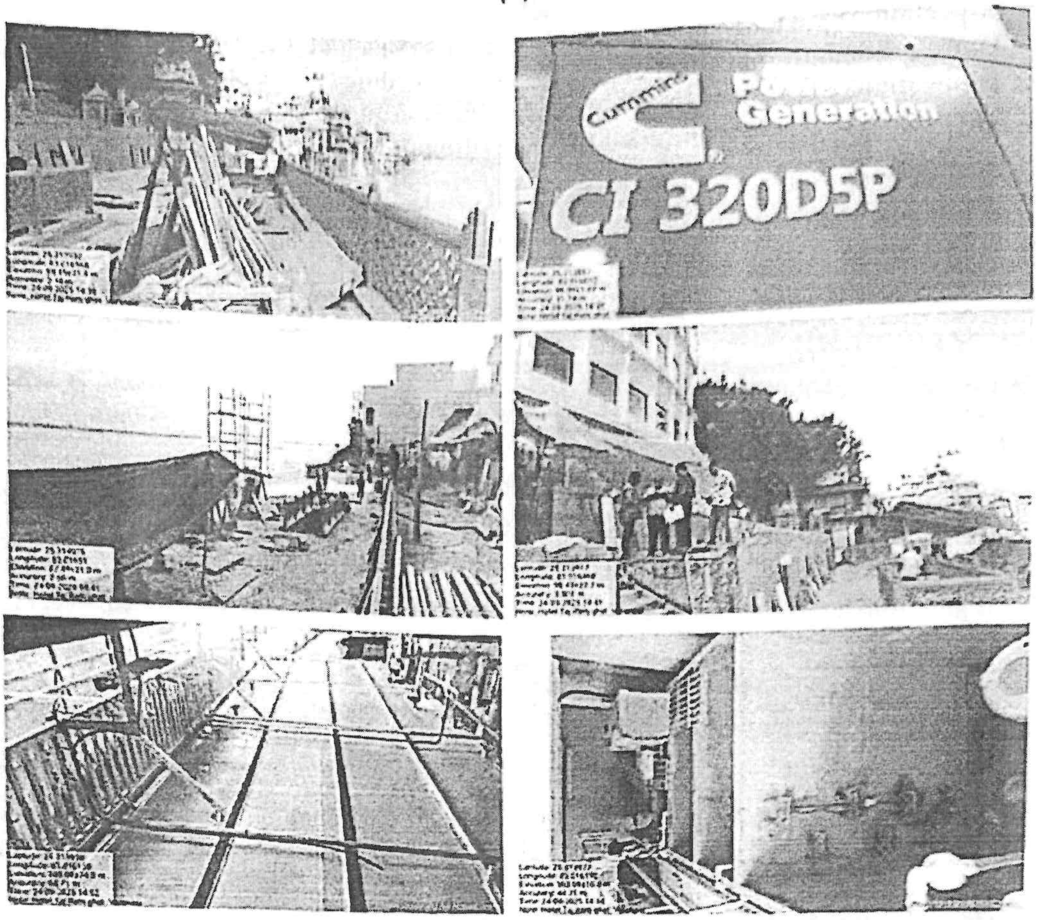

The above Inspection report is being put up for your kind information and further necessary action.

25.9.25 — (C.P. Verma)
S.A.

25/09/2025 — (Sushil Kumar)
A.S.O.

Regional Officer,
25/09/25

Scanned with OKEN Scanner

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : GREEN **Application Id : 34161587**
252813/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO)/CTO/both/VARANASI/2025 **Date: 26/10/2025**

To,

M/s

SRIVAARI CHEMICALS PRIVATE LIMITED

Hotel Project located at K-24/2,24/3,24/4,24/9,24/102, Pargana Dehat Amanat Tehsil, VillageShahar Khas, Mohalla Ramghat Kotwali, Rajghat, Varanasi, Uttar Pradesh,VARANASI,

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **SRIVAARI CHEMICALS PRIVATE LIMITED** located at **Hotel Project located at K-24/2,24/3,24/4,24/9,24/102, Pargana Dehat Amanat Tehsil, VillageShahar Khas, Mohalla Ramghat Kotwali, Rajghat, Varanasi, Uttar Pradesh,VARANASI,**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA SRIVAARI CHEMICALS PRIVATE LIMITED **granted for the period from 25/10/2025 to 31/07/2030** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Hotel (No. of rooms- 45)	45	Numbers/Day
2	Restaurants (Sitting Capacity- 36 Persons)	01	Numbers/Day
3	Banquet Hal (Capacity-70 Persons)	01	Numbers/Day
4	All day dining restaurant Seating capacity -102	02	Numbers/Day

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	**45 KLD**	**STP**	**15 KLD treated water discharge in sewer line of Nagar Nigam, Varanasi**

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	pH	As per E (P) Rules, 1986
2	BOD	As per E (P) Rules, 1986
3	COD	As per E (P) Rules, 1986
4	TSS	As per E (P) Rules, 1986
5	Oil and grease	As per E (P) Rules, 1986

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	As per E (P) Rules, 1986
2	BOD (mg/L)	As per E (P) Rules, 1986
3	Fecal Coliform (MPN/100ml)	As per E (P) Rules, 1986
4	TSS (mg/L)	As per E (P) Rules, 1986

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	320 KVA-2 nos.	HSD	02	Particulate Matter	As per E (P) Rules, 1986

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	02	Particulate Matter	As per E (P) Rules, 1986

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately
(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.
iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-
Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. **Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-**
(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-
1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent to Operate is being issued to M/s Srivaari Chemicals Private Limited (Hotel Avantika) House No. K 24/2, 24/3, 24/4, 24/9, K 24/102 and K 24/2-A, Sharkhas, Ramghat, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.
2. This CTO order is valid from 25.10.2025 upto 31.07.2030 for Hotel Industry (Fooding & Lodging)- 45 Rooms (Including 6 suits), 1 No. Roof top Restaurants (Sitting Capacity- 36 Persons), 01 No. Banquet Hal (Capacity-70 Persons) & All day dining restaurant Seating capacity (Cover area+Oper area)-102 Seats.
3. The Hotel should install electromagnetic flow meter on bore well, inlet and outlet of STP.
4. The consumption of electricity, nutrient and chemicals in operation of STP must record on logbook regularly.
5. The Hotel should reuse maximum treated in flushing, floor washing and gardening and remaining 15 KLD treated water discharge into sewer line of Nagar Nigam, Varanasi.
6. The Hotel shall operate all units of STP regularly.
7. The Hotel shall maintain good housekeeping in hotel premisses.
8. The hotel shall submit treated water analysis report of STP within one month and after every six month analyzed by Board or NABL accredited laboratory.
9. The Hotel shall submit Environment Statement to this Board as per provision of Environment (Protection) amendment Rule, 1993 for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year.
10. The hotel shall comply provisions and standards notified vide GSR 794(E), dt. 04.11.2009 by MoEF, Govt. of India under E(P)Act, 1986.
11. Green belt of suitable species able to attain 8-10 meter height on maturity shall be developed in multi-lineate staggered manner on a minimum 33% of the land on which the industry is established as per the "Protocol for Development of Green Belt" notified vide Board Office Order No.H16405/220/2018/02 dated. 16.02.2018 in this regard and is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green -belt-Guide_160218.pdf. If land area is not availabe for plantation within premisses then hotel should carried out plantation near by area of hotel premisses.
12. The hotel shall use H.S.D. as fuel in D.G. sets capacity 320 KVA D.G. Set-02 nos.
13. The DG set should have minimum stack height 0.2x under root KVA from roof-top of the nearest building with acoustic enclosure and monitoring of noise level, stack emission and ambient air quality should be done by the laboratory recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and report be sent to the Board.

14. The hotel shall obtain NOC from Ground Water Department for abstraction of ground water within 01 months and shall be submitted to State Board.
15. The hotel shall install rain water harvesting system as per guidelines of ground water department.
16. The hotel should obtain necessary permission from all competent authority and a copy of this shall be submit to State Board.
17. This Consent of the hotel is automatically considered abrogated after receiving public grievances regarding air/ water pollution against the hotel and the confirmation of the complaint by UPPCB.
18. The hotel shall operate in such a way so that is does not affect the surrounding environment and population.
19. The hotel shall fully comply notification of MoEF & CC on dated 04.11.2009 regarding hotels, restaurants, Banquet halls etc. effluent standards.
20. The hotel shall comply with the guidelines of Mechanism/Guidelines for Control of Pollution and Enforcement of Environments Norms at Individual Establishments and the Area/Cluster of Restaurants/Hotels/Motels/Banquets etc.
21. Generated hazardous waste shall be stored temporarily in the factory premises and disposed off through authorized TSDF after obtaining authorization from the Board.
22. The Order issued by Hon'ble Courts/Hon'ble NGT and direction issued by MoEF & CC, Central Pollution Control Board, U.P Pollution Control Board etc shall be complied by the hotel.
23. The hotel shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, Public liability insurance Act, 1991, Plastic Waste Management Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable).
24. The conditions mentioned in the consent shall be complied by the hotel and submit the compliance report to UPPCB within the stipulated time period.
25. This CTO will be subject to the decision/order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 259/2025 "Anurag Singhal vs. Government of India and others".
26. The hotel shall submit a bank guarantee of Rs. 600000/= (Six Lac Only) in the State Board within one month.
27. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.

ROHIT SINGH Digitally signed by ROHIT SINGH Date: 2025.10.26 02:10:25 +05'30'

Regional Officer

Copy to:

Chief Environmental Officer (Circle-6), U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow for information please.

ROHIT SINGH Digitally signed by ROHIT SINGH Date: 2025.10.26 02:10:50 +05'30'

Regional Officer

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वियन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

CANCELLED
NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 259/2025(IA No. 399/2025)

S.No. 13,264 Year 26-08-25

ANURAG SINGHAL ......Applicant

Versus

Union of India & Ors. ......Respondent(s)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 26.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, -----Rohit Singh--, aged about -53---Years S/o Shri -N. C. Sachan-------, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Varanasi. I say that I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That, The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as The Hon'ble Tribunal) vide its order dated 26.05.2025 has passed the following direction:

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
16-9-25
NOTARY GOVT OF INDIA

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

"...1. *In this original application (OA), allegation of the applicant is against construction being raised by respondent no.9-Sri Vaari Chemicals Private Limited by the side of river Ganga in Varanasi.*

2. Applicant alleges that there was a heritage charitable institution-Mehta Hospital existing as a three-storey charitable health facility situated approximately 100 feet from river bank and within the High Flood Level Zone (HFLZ).

3. Applicant further alleges that respondent no.9 has started construction of additional floors on the top of the existing structure as well as expanding the horizontal area beyond the original built-up area to convert it into a commercial hotel.

4. Submission of Learned Counsel for the applicant is that High Court of Allahabad in Public Interest Litigation (PIL) No. 4003/2006 : Re Ganga Pollution vs. State of UP & Ors. by order dated 21.07.2003 has put 2 restriction upon any construction within 200 meters from bank of river Ganga in Varanasi.

5. Learned Counsel for the applicant in support of his submission about additional construction by respondent no.9 has referred to photographs on page nos.38 to 40 and 42. He submits that though representation was made to the

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
26.9.25
NOTARY GOVT OF INDIA

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

authorities, page no.44 but no action has been taken.

6. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through their advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal..."

In compliance of above Hon'ble NGT order inspection of complained site conducted by Regional Office Varanasi on dated 24.09.2025. During inspection Shree Deepak Sopa, Branch Manager & Shree Vilson, Project Manager representative of Sri Vaari Chemicals Pvt. Ltd. were present. During inspection following facts has been observed –

1. During inspection unit representative informed that for repair/reconstruction for existing house permission, situated within 200 metres from the bank of River Ganga, has been granted by the Varanasi Development Authority, Varanasi vide letter no. 03/V.P./Zonal Officer-Kotwali/Repair Permission/2023-24, dated 14.08.2023. **(Annexure-1).**
2. During inspection, the representative informed that the total area of the plot is

नोटरी भारत सरकार उदयकृष्ण चतुर्वेदी U. K. Chatuvedi रजि०नं०-13373/17 NOTARY GOVT OF INDIA

1330.76 square meter and covered area is 3506.93 square meters. Construction of the 45 rooms, 6 suites, and 45-seated restaurant is nearly completed. During inspection, construction of the unit and finishing work was ongoing.

3. During inspection flood condition observed in river Ganga and found that River Ganga flowing by the site of project (Zero distance from the base of project). Google map attached as **(Annexure-2).**
4. During inspection, the representative informed that the total area of the plot is 1330.76 square meter and covered area is 3506.93 square meters. Construction of 45 rooms, 6 suites, and 45-seated restaurant is nearly complete. During inspection, construction of the unit and finishing work was ongoing adjacent to the River Ganga.
5. At the time of inspection, 50 KLD capacity of STP was found installed for treatment of domestic effluent generated from the unit.
6. At the time of inspection 02 nos. DG sets of 320 KVA capacity were found installed for uninterrupted power supply in which the chimneys were installed as per norms.
7. As per office records, CTE/CTO (Consent to Establish and Consent to Operate) under Water and Air act has not been issued to the

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं० 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

unit from the State Board. A copy of inspection report is being annexed herewith as **Annexure-3.**

8. That in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal a reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ---Varanasi--- on this 26.09.25 day of September 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chaturvedi
रजि०नं०-13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

पंजियन / Registration
क्र०सं०/Sr. No. 13264
दि०/Dt. 26.9.25
स्थान/Place Vns
एड०/Adv.
By
एड०Adv. दि०क०वा०
C.C.V. U.P.

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

श्री दीपक सोप्पा ऑथॉरिज़ेड सिग्रेट्री ऑफ़ श्रीवारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,
निवासी–भ0सं0–के0 24/2, 3, 4, 9, मोहल्ला–रामघाट,
वार्ड–कोतवाली, वाराणसी।

पत्रांक :– 03 /वि0प्रा0/जोनल अधि0–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :– 14-08-2023

विषय :– गंगा किनारे से 200 मी0 के अन्तर्गत स्थित भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयंक अपने स्वकीय आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भ0सं0–के0 24/2, 3, 4, 9, मोहल्ला–रामघाट, वार्ड–कोतवाली, वाराणसी स्थित भवन में मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दिया गया है। आपके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नगर नियोजक, जोनल अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, मानचित्रकार की संयुक्त टीम (शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में सचिव विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा गठित समिति दिनांक 16–6–2016) द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी की आख्या/अनुशंसा पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 03.08.2023 को उक्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। आपके वर्तमान निर्माण एवं वांछित मरम्मत/पुनर्निर्माण का विवरण इस प्रकार है :–

मौजूदा भवन का विवरण :–		
1.	भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल–	1330.76 वर्गमीटर।
2.	चौहद्दी–	उत्तर–मकान नं0–के 24/103 (आराजी नं0–5699 पार्ट), दक्षिण–मकान नं0–के 24/1 (आ0नं0–5739 विश्वनाथ ब्रम्हचारी पाठशाला), पूरब– प्लाट नं0–5739 पार्ट (गंगा नदी) पश्चिम–गली (23.58 मी0)
3.	निर्माण चिठ्ठा के अनुसार–	वेसमेण्ट+तीन मंजिला (बी+जी+2) भवन। (चिठ्ठा के अनुसार) वेसमेण्ट में –2 बरामदा, 2 हाल, 5 कमरा, स्टोर, पैथालॉजी एक्स–रे विभाग, चिल्ड्रेन वार्ड, शौचालय, स्नानगृह। भूतल में– 7 कमरा, 1 डिस्पेन्सरी हॉल, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, कार्यालय, शौचालय, स्नानगृह। प्रथम तल– 3 वार्ड, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, 13 कमरा, 1 फिमेल वार्ड, मैटनिटी रूम, वातानुकूलित वार्ड, शौचालय, स्नानगृह। द्वितीय तल– 3 वार्ड, 1 ऑपरेशन रूम, 2 बरामदा, 13 कमरा, 1 फिमेल वार्ड, मैटनिटी रूम, वातानुकूलित वार्ड, शौचालय, स्नानगृह।
4.	अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित–	बेसमेण्ट+तीन मंजिला (बी+जी+2) मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना है। फोटोग्राफ संख्या–1 से 4 तक।
5.	वास्तुकला एवं सौंदर्य संरक्षण–	भवन गंगा नदी तट की ओर स्थित होने के कारण पूर्व निर्मित भवन के बाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन अनुमन्य नही होगा। वास्तुकला एवं सौंदर्य पूर्व की भाँति रहेगा। गंगा नदी की ओर आने वाले फसाड़ पर पूर्व की भाँति रेड सैडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा।
6.	वाराणसी विकास प्राधिकरण की 127वी बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2022 के अनुपालन में विकास शुल्क भवन निर्माण शुल्क, अम्बार शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क दिनांक 07.08.2023 को पक्ष द्वारा चलान के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा किया गया।	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल – 1330.76 वर्ग मी0 भू–आच्छादन – 3506.93 वर्ग मी0 विकास शुल्क – 1330.76x132 = 175660.32 निरीक्षण शुल्क – 3506.93x23 = 80659.39 मलवा शुल्क – 3506.93x46 = 161318.78 कुल योग – = 417638.49 यानि – = 417639.00 (मात्र) (चार लाख सत्रह हजार छः सौ उनतालीस रूपया मात्र)

File No. L-25012(11)/127/2023-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

उक्त अनुज्ञा निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को इस आशय की अनिवार्य रूप से लिखित सूचना दी जायेगी।
2. मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उसकी लिखित सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं निर्मित भवन के (सभी उपलब्ध दिशाओं से) फोटोग्राफ्स के साथ यथा समय जमा किये जायेंगे मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु जितनी अनुज्ञा दी गयी है, किसी भी दशा में उसमें विचलन नहीं होना चाहिए अन्यथा प्राधिकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
3. भवन की पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं "की प्लान", साइट प्लान, भवन की वर्तमान स्थिति के सभी उपलब्ध दिशाओं से फोटो ग्राफ्स, स्थल पर मौजूदा भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेट–बैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, एलीवेशन, आदि अन्य अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में जमा किये गये एवं शपथ–पत्र में प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर किये गये निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है वहीं उपयोग अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किये जाने की स्थिति में इसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. सीवरेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में नहीं किया जायेगा।
6. मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल/द्वितीय/तृतीय तल का स्लैब आदि) के फोटोग्राफ्स भी समय–समय पर प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से यथा समय जमा किये जायेंगे ताकि प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की समय–समय पर स्थलीय पुष्टि भी की जा सके।
7. पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि विद्यमान स्वरूप में मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति होगी तथा भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन में फुट–प्रिन्ट, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊँचाई में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व निर्मित भवन की सीमान्तर्गत ही मरम्मत/पुनर्निर्माण अनुमन्य होगा।
8. गंगा नदी के किनारे नदी की ओर स्थित भवनों की वास्तुकला एवं सौंदर्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उपरोक्त उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण द्वारा विधि सम्मत सुसंगत अधिनियम/नियम/उपनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. प्रश्नगत भवन के सामने स्थित सड़क के मध्य से 9 मीटर दूरी तक पक्ष को अपने भवन के सामने स्थित खुले चबुतरे की भूमि व मोटी दीवार के अंश भाग की भूमि मार्ग विस्तार में देने के साथ शासनादेश में उल्लेखित अन्य शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

पत्रांक :– /वि०प्रा०/जोनल अधि०–कोतवाली/मरम्मत अनुज्ञा/2023–24 दिनांक :–

प्रतिलिपि :–1. नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली पर।

जोनल अधिकारी
(वार्ड–कोतवाली)

Annexure-2

Google map showing site of Sri Vaari Chemicals Pvt. Ltd, Varanasi.

Ⓐ Proposed Site of Sri Vaari Chemicals Pvt Ltd.

7. The photographs taken during inspection are as follows -

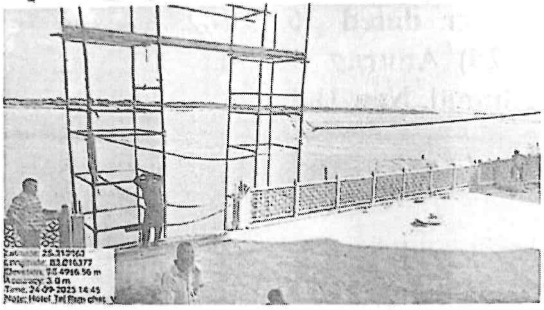
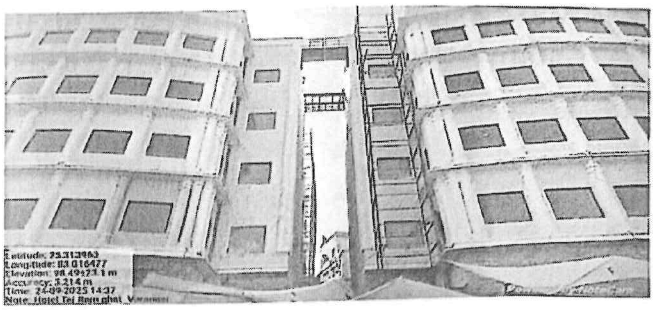

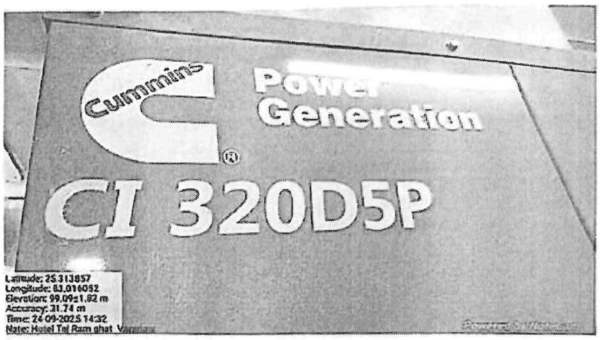

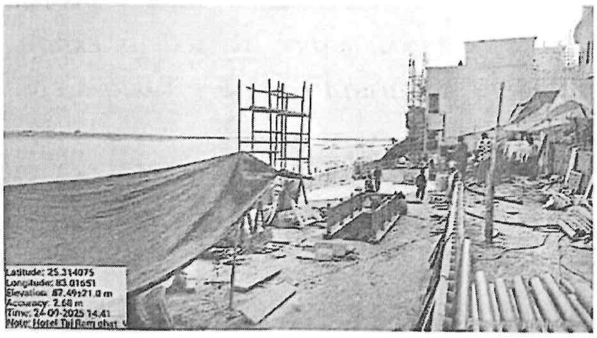

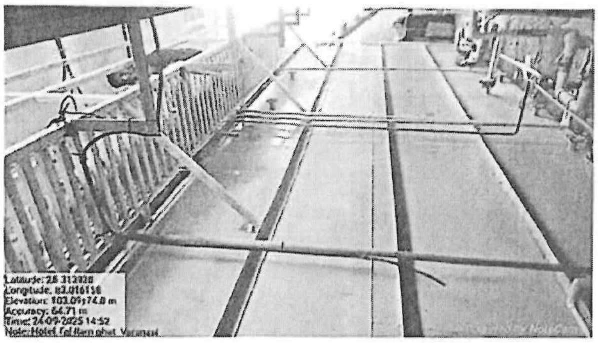
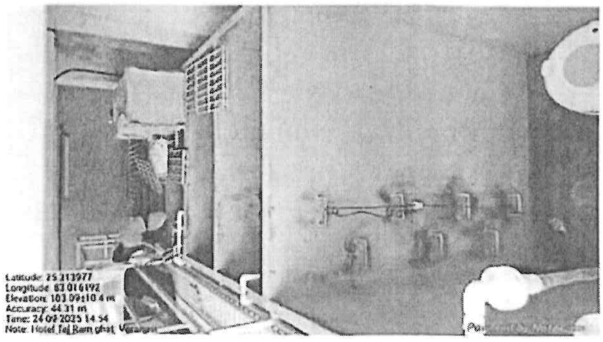

The above Inspection report is being put up for your kind information and further necessary action.

25/09/2025
(Sushil Kumar)
A.S.O.

Regional Officer,
25/09/25

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी

पत्रांकः— 2370 / बं0प्र0वा0 / कला अनु0 / एन0जी0टी0 /   दिनांकः— 27 अक्टूबर—2025

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 259 / 2025 अनुराग सिंघल बनाम संघ और अन्य से सम्बन्धित है, जिमसें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—आपका पत्रांक 1750 / 29—1 / दिनांक 25.10.2025।

प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 259 / 2025 अनुराग सिंघल बनाम संघ और अन्य से सम्बन्धित है, जिमसें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

27-10-25
अधिशासी अभियन्ता
बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी

पत्रांकः—   / बं0प्र0वा0 / कला अनु0 / एन0जी0टी0 / तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता
बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 259/2025 अनुराग सिंघल बनाम संघ और अन्य से सम्बन्धित है, जिमसें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–515/2023, गंगा प्रदूषण बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (पूर्व में ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में गंगा के सगेमेंट–बी, फेज–2 (उन्नाव से बलिया) की फलड प्लेन जोन निर्धारण हेतु एक Memorandum of Agreement (MOA) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन0आई0एच0), रूड़की (उत्तराखण्ड) एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के मध्य दिनांक 22.12.2023 को हो चुका है। उक्त एम0ओ0यू0 अनुसार में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एन0आई0एच0), रूड़की (उत्तराखण्ड) द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी क्वॉडिनेट के अनुसार इस खण्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद–भदोही (संत रविदास नगर), मीरजापुर, वाराणसी एवं चन्दौली में गंगा नदी के फलड प्लेन जोन निर्धारण हेतु बाउण्ड्री पिलर लगाये जाने के हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई। अनुबन्ध गठन के उपरान्त गंगा नदी के Flood Plain Zone Demarcation हेतु बाउण्ड्री पिलर लगाये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

27-10-25

अधिशासी अभियन्ता,
बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

पत्रांक - 1660 - दि० - 16-10-25

जिला गंगा समिति, वाराणसी की बैठक में जिलाधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2025 को सायं 3.00 बजे रायफल क्लब में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 14.10.2025 को सायं 3.00 बजे जिला गंगा समिति की माह अक्टूबर 2025 की बैठक राइफल क्लब कलेक्टरेट सभागार वाराणसी में सम्पन्न कराई गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ सदस्यों की सूचि संगलन है। सर्वप्रथम जिला गंगा समिति की बैठक प्रारंभ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी/ सदस्य सचिव जिला गंगा समिति वाराणसी द्वारा दिनांक 22/09/2025 को हुई बैठक के कार्यवृत के अनुपालन के सम्बन्ध संछिप्त चर्चा की गयी।

1. पूर्व बैठक के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 422A/695/SMCG-UP/14 दिनांक 08/09/2025 के तहत जनपद वाराणसी में चयनित की गयी छोटी नदी- वरुणा नदी एवं अस्सी नदी से सम्बंधित सूचना की प्रविष्टि smcgup पोर्टल पर किये जाने हेतु सुचना विभिन्न विभाग से मांगी गयी थी मगर अब तक नगर निगम वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा किसी भी प्रकार की सुचना प्रस्तुत नही की गयी है, जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी महोदय द्वारा उक्त विभागों को सभी सूचनाएं संकलित करते हुए जल्द से जल्द समिति को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया | साथ ही जल निगम वाराणसी एवं सिचाई विभाग वाराणसी को उक्त क्रम में निर्देशित किया गया पूर्व में प्रेषित की गयी प्रस्तावित एस० टी० पी० साईट का पूर्ण विवरण बजट सहित प्रेषित किया जाए |

(कार्रवाई अपेक्षित – नगर निगम वाराणसी/ उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी/ जल निगम वाराणसी/ सिचाई विभाग वाराणसी)

2. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की अपर मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक संख्या 610/76-2-2025-E-1609058 दिनांक 03/07/2025 के तहत प्रदेश में छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु पूर्व बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की प्राप्त प्रारूप को विभागवार वितरित करते हुए, सम्बन्धित विभाग को व्यक्तिगत पत्र जारी कर सूचनाएं संकलित की जाए | जिस हेतु सभी सम्बंधित विभागों को पत्र के माद्यम से अवगत कराया गया मगर अब तक नगर निगम वाराणसी, भूगर्भ विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, वाराणसी विकास

(13)

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

प्राधिकरण से सूचनाएं प्रस्तुत नही की गयी है | उक्त क्रम में मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की सभी विभागों को सूचनाएं संकलित करते हुए 1 हफ्ते में समिति को प्रेषित किया जाए | साथ ही यह भी निर्देशित किया गया की जनपद स्तर पर वरुणा नदी एवं अस्सी नदी से सम्बंधित एवं पहले से प्रस्तावित की गयी कार्य योजनाओं को भी संकलित रूप से प्रस्तुत कर वर्तमान कार्ययोजना में शामिल किया जाए |

(कार्रवाई अपेक्षित – नगर निगम वाराणसी , पंचायती राज ,भूगर्भ विभागविभागराजस्व विभाग ,कृषि विभाग ,, वाराणसी विकास प्राधिकरण, जल निगम वाराणसी, सिचाई विभाग वाराणसी)

3. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 540/768(10)/SMCG-UP/07 दिनांक 06/10/2025 एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F.No.L-25012(11)/12/225-O/O ED(TECH) NMCG दिनांक 19/09/2025 के तहत मा० राष्ट्रिय हरित अधिकरण में विचारधीन - अनुराग सिंगल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों का उल्लेख है। यह मामला मेहता अस्पताल, जो कि HFLZ के भीतर स्थित एक धर्मार्थ स्वास्थ्य सुविधा है, के परिसर में मैसर्स श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित रूप से किए गए अनधिकृत संरचनात्मक संशोधनों और विस्तार से संबंधित है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनएमसीजी ने जिला गंगा समिति-वाराणसी को इस मुद्दे की तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय वाराणसी द्वारा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी एवं सिचाई विभाग वाराणसी के स्तर से की गयी कार्यवाही पर सुचना चाही जिस पर क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया की उक्त सूचनाएं वाराणसी विकास प्राधिकरण से संकलित कर रिपोर्ट सहित एफिडेविट मा० राष्ट्रिय हरित अधिकरण को प्रेषित किया जा चूका है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया की मा० राष्ट्रिय हरित अधिकरण को प्रेषित की गयी रिपोर्ट एवं एफिडेविट को समिति को अवश्य प्रेषित किया जाए |

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

वाराणसी, वाराणसी विकास प्राधिकरण) (कार्रवाई अपेक्षित-उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

4. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व बैठक में विकासखंड चोलापुर में नियारडीह द्वितीय (पोषक) पंप नहर (क्षमता 30 क्यूसेक) के निर्माण की परियोजना के निर्माण हेतु गोमती नदी से जल उठाने की अनुमति हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की गोमती नदी से जल उठाने की अनुमति का सक्षम स्तर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली हैजिस हेतु अधिशासी अभियंता लघु डाल नहर खंड वाराणसी को निर्देशित किया गया , की जिला गंगा समिति वाराणसी के स्तर सेआवश्यक अनुशंसा को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , नई दिल्ली को अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता लघु डाल नहर खंड वाराणसी को समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया |

(कार्रवाई अपेक्षित- लघु डाल नहर खंड वाराणसी)

5. प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया की परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 464/425-C/02, दिनांक-17/09/2025 के क्रम में स्वछता ही सेवा अभियान के तहत दिनांक 17/09/2025 से 31/10/2025 तक स्वछता अभियान चलाने पर केन्द्रित होगा, जिसका लक्ष्य जनपद वाराणसी से 20000 स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओ को प्रतिभाग करते हुए दिए गए गूगल लिंक के माद्यम से पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है || कार्यक्रम के आयोजन एवं छात्रछात्राओं- के पंजीकरण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी को पत्र के माद्यम से अवगत कराया गया है, जनपद के स्कूल / कॉलेज के स्तर से पंजीकरण कर कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया की जनपद के स्कूल में स्वछता सम्बंधित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया गया की स्वछता अभियान आयोजित कर गूगल लिंक के माद्यम से पंजीकरण कर रिपोर्ट समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें |

पंजीकरण हेतु गूगल लिंक : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jktDe-aJRCJzL8WYEiUNNe-R4FdEv0cba0SFh5OHkvo/edit?gid=847552257#gid=847552257

(कार्रवाई अपेक्षित- जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी)

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

(12)

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत बैठक में उपस्थति सदस्यों से यह अपेक्षा की गयी कि उपरोक्तानुसार जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक, जिला गंगा समिति, वाराणसी को एक सप्ताह के भीतर ई–मेल (dfovrns@gmail.com) पर उपलब्ध कराया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति , वाराणसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,वाराणसी वन प्रभाग , वाराणसी।

पत्रांक-1660 /29-1 , दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर , 16 2025।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
6. मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामनगर/नगर पंचायत, गंगापुर वाराणसी।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
9. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. वाराणसी।
11. अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
12. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम(नोडल खण्ड), वाराणसी।
13. महाप्रबन्धक, जलकल वाराणसी।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, वाराणसी।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी।
16. उप कृषि निदेशक, वाराणसी।
17. जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी।
18. उपायुक्त, श्रम एवं रोजगार, वाराणसी।
19. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वाराणसी।
20. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
21. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
22. जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
23. बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
24. संयुक्त निदेशक, प्रविधिक शिक्षा, वाराणसी।
25. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ0प्र0 वाराणसी।
26. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड जल निगम, वाराणसी।
27. अधिशासी अभियंता, द्वितिय निर्माण खण्ड जल निगम, वाराणसी।
28. अधिशासी अभियंता, षष्ठम निर्माण खण्ड जल निगम, वाराणसी।
29. कमांडिंग अफसर गंगा टास्क फोर्स वाराणसी।
30. अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) ।
31. अधिशासी अभियंता जल निगम (नगरीय) ।
32. अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग वाराणसी ।

16/10

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति , वाराणसी

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

(11)

Item No. 23 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 259/2025
(IA No 399/2025)

Anurag Singhal Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondents

Date of hearing: 06.10.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Saurabh Tiwari, Advocate for the Applicant (Through VC).

Respondents: None for Respondent No. 1.
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for Respondents No. 2, 7 and 8.
Mr. Chetanya Puri, Advocate for Respondent No. 3-BDA.
Mr. Gigi George, Advocate for Respondent No. 4-NMCG.
Ms. Suman Arora, Advocate for Respondent No. 5-CPCB.
Mr. Daleep Dhyani, Advocate for Respondent No. 6-UPPCB.
Dr. Avneesh Tripathi, Advocate for Respondent No. 9.

ORDER

1. Reply-cum-response dated 26.09.2025 has been filed by Respondent No. 6-UPPCB.

2. Reply dated 23.09.2025 has been filed by Respondent No. 5-CPCB.

3. Learned Counsel for Respondent No. 9 has submitted that response has been filed by Respondent No. 9 on 28.09.2025.

4. However, the same has not been placed on record.

5. The Registry is directed to verify the factual position and place the same on record.

6. Learned Counsel for Respondents No. 2, 7 and 8 seeks four weeks' time for filing of the reply which prayer is allowed.

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

7. List on 05.01.2026 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 06, 2025
Original Application No. 259/2025
(IA No 399/2025)
dv

2

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)
दूरभाष/फैक्स-0524 2585574 ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांकः-1750 /29-1, दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर, 25 2025 । (अनुस्मारक-01)

सेवा में,

1. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड वाराणसी ।
3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग वाराणसी ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025 - अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 540/768(10)/SMCG-UP/07 दिनांक 06/10/2025 एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F.No.L-25012(11)/12/225-O/O ED(TECH) NMCG दिनांक 19/09/2025, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वाराणसी के पत्रांक संख्या 1950/29-1 दिनांक 10/10/2025 ।

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत करना है की माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025 - अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों का उल्लेख है। OA No. 259/2025 के क्रम में दिए गए जानकारी के अनुसार यह मामला मेहता अस्पताल, जो कि HFLZ के भीतर स्थित एक धर्मार्थ स्वास्थ्य सुविधा है, के परिसर में मैसर्स श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित रूप से किए गए अनधिकृत संरचनात्मक संशोधनों और विस्तार से संबंधित है। साथ ही प्रकरण में यह भी बताया गया है की ये संशोधन लागू मानदंडों का उल्लंघन करते हुए इस सुविधा को एक वाणिज्यिक होटल में बदलने के उद्देश्य से किए गए हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली द्वारा तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट तैयार कर, तथ्यात्मक निष्कर्ष, अवलोकन, की गई कार्रवाई और सिफारिशों का विवरण देते हुए प्रस्तुत की जानी है।

उक्त क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि अपेक्षित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1950/29-1 दिनांक 10/10/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया मगर अब तक आपके स्तर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है, अतः प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए स्थल निरिक्षण सहित स्थिति रिपोर्ट दिनांक 29/10/2025 तक तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि जिलाधिकारी महोदय /अध्यक्ष जिला गंगा समिति वाराणसी को प्रस्तुत की जाए एवं जिला गंगा समिति वाराणसी द्वारा रिपोर्ट संकलित रूप में राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली को ससमय प्रेषित किया जा सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

पत्रांकः- 1750 /समदिनांकित

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी.-36 अशोक विहार कालोनी फेज-1, पहड़िया, वाराणसी-221007)
दूरभाष/फैक्स-0524 2585574
ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांकः- 1950 /29-1,   दिनांक, वाराणसी, अक्टूबर, 10 2025 ।

सेवा में,

1. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड वाराणसी ।
3. अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग वाराणसी ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025 - अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या 540/768(10)/SMCG-UP/07 दिनांक 06/10/2025 एवं राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली के पत्रांक संख्या F.No.L-25012(11)/12/225-O/O ED(TECH) NMCG दिनांक 19/09/2025 ।

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत करना है की माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही OA No. 259/2025 - अनुराग सिंघल बनाम भारत संघ और अन्य - से संबंधित हैं, जिसमें वाराणसी में गंगा नदी के उच्च बाढ़ स्तर क्षेत्र (HFLZ) के भीतर कथित निर्माण गतिविधियों का उल्लेख है। OA No. 259/2025 के क्रम में दिए गए जानकारी के अनुसार यह मामला मेहता अस्पताल, जो कि HFLZ के भीतर स्थित एक धर्मार्थ स्वास्थ्य सुविधा है, के परिसर में मैसर्स श्री वारी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित रूप से किए गए अनधिकृत संरचनात्मक संशोधनों और विस्तार से संबंधित है। साथ ही प्रकरण में यह भी बताया गया है की ये संशोधन लागू मानदंडों का उल्लंघन करते हुए इस सुविधा को एक वाणिज्यिक होटल में बदलने के उद्देश्य से किए गए हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली द्वारा तत्काल जांच करने, आवश्यक क्षेत्र सत्यापन करने और रिवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट तैयार कर, तथ्यात्मक निष्कर्ष, अवलोकन, की गई कार्रवाई और सिफारिशों का विवरण देते हुए प्रस्तुत की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए स्थल निरिक्षण सहित स्थिति रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर तैयार करना सुनिश्चित करें ताकि जिलाधिकारी महोदय /अध्यक्ष जिला गंगा समिति वाराणसी को प्रस्तुत की जाए एवं जिला गंगा समिति वाराणसी द्वारा रिपोर्ट संकलित रूप में राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली को ससमय प्रेषित किया जा सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

पत्रांकः- 1950 /समदिनांकित 10 10 2025

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव
जिला गंगा समिति वाराणसी ।

File No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG-NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA (Computer No. 298003)
Generated from eOffice by Arpita Kumari, CONSULTANT(AK)-O/o ED(TECH), CONSULTANT (LEGAL), NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA on 01/01/2026 10:56 am

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR
STATE MISSION FOR CLEAN GANGA -UTTAR PRADESH
DEPARTMENT OF NAMAMI GANGE & RURAL WATER SUPPLY
GROUND FLOOR, UTTAR PRADESH JAL NIGAM-RURAL HEAD QUARTER,
06 RANA PRATAP MARG LUCKNOW- 226001, UTTAR PRADESH

E-mail : apd@smcgup.org, www.smcgup.org

Reference No: 540/768(10)SMCG-U.P/ 07 Date: 06/10/2025

To,

District Magistrate cum Chairperson District Ganga Committee-Varanasi
Collectorate Compound, Hamrautia,
Varanasi, Uttar Pradesh-221102

Subject: Request for Action and Submission of Status Report in OA# 259/2025-Anurag Singhal Vs. Union of India & Ors-Alleged constriction in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi

Dear Sir,

This is to draw your attention to the communications issued by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) vide letter reference No. F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH) NMCG dated 19 September 2025 and 25 June 2025, as well as SMCG-Uttar Pradesh's letter No. 206/768 (SMCG-U.P/03) dated 24 July 2025, regarding the Hon'ble National Green Tribunal's proceedings in OA No. 259/2025 – *Anurag Singhal Vs. Union of India & Others* – concerning alleged construction activities within the High Flood Level Zone (HFLZ) of river Ganga in Varanasi. The matter pertains to reported unauthorized structural modifications and expansion undertaken by M/s Sri Vaari Chemicals Private Limited at the premises of Mehta Hospital, a charitable health facility situated within the HFLZ. These modifications are allegedly aimed at converting the facility into a commercial hotel, in violation of applicable norms.

In view of the above, NMCG has directed the District Ganga Committee–Varanasi to urgently examine the issue, carry out necessary field verification, and initiate appropriate action under the provisions of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. A comprehensive status report is to be prepared and submitted, detailing factual findings, observations, action taken, and recommendations for onward submission to the Hon'ble Tribunal.

You are requested to ensure that necessary action is initiated on priority and the status report is submitted to NMCG at the earliest, with a copy endorsed to the undersigned, to facilitate timely compliance with the directions of the Hon'ble NGT.

Annexure: as above

Yours sincerely

(Prabhash Kumar)
Project Director

CC for information:

i. Additional Chief Secretary, Namami Gange and Rural Water Supply Department, GoUP
ii. Divisional Commissioner, Varanasi Division, Varanasi
iii. Engineer in Chief and HoD, Irrigation and Water Resources Department, GoUP, Sinchai Bhavan, Udaiganj, Cantt Road, Lucknow
iv. Executive Director (TECH), NMCG, New Delhi

Project Director

7

(COURT MATTER: PRIORITY)

F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH)-NMCG
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

पहली मंजिल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,
निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली – 110001,
दिनांक: 24/03/2026

Subject: O.A. No. 259/2025 before the Hon'ble National Green Tribunal- Alleged Repair/Renovation/Construction activity in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi-reg.
Ref: Hon'ble NGT OA No. 259/2025 order dated 26/05/2025

This is with reference to the ongoing proceedings before the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 259/2025 **order dated 26/05/2025**, regarding alleged construction activities by M/s Sri Vaari Chemicals Pvt Ltd, approximately 100 feet from the river ganga bank within the High Flood Level Zone (HFLZ) **(Annexure–1).**

In pursuance of the above, this office had issued directions to the District Ganga Committee (DGC), Varanasi, vide letter **dated 25/06/2025 and 19/09/2025 (Annexure-2 & 3)**, to conduct inspection and submit a factual report in respect of the subject.

The District Ganga Committee (DGC) submitted its inspection report vide letter **dated 03/11/2025 (Annexure-4)**, along with the statutory permissions obtained from Varanasi Development Authority (VDA), Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Additional District Magistrate, INTACH, Fire Department, Joint Director of Tourism & Department of Tourism. However, the current status of the Floodplain zone (FPZ) demarcation of River Ganga in the concerned stretch as intimated by the Executive Engineer, Bandhi Block, Varanasi, vide letter **dated 27.10.2025 (Annexure-5)** is not known. This information is essentially required to ascertain/find out whether the said structure is falling in the active flood zone or not (zone as per 1 in 5-yr return period flood).

Above in view, DGC is requested to get the current status of the same and convey the same to the NMCG at the ed-technical@nmcg.nic.in on or before **30/03/2026**. It may kindly be noted that the **next date of hearing in the matter is 06/04/2026.**

अनूप) कुमार श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक **(तकनीकी)**

To,

1. Divisional Forest Officer/ District Ganga Committee (DGC), Varanasi Forest Division, Forest Building, HIG-36, Ashok Vihar Colony Phase-1, Pahariya, Uttar Pradesh, Varanasi-221007
2. Superintending Engineer, Irrigation Colony, Varunapuram, Sigra, Varanasi-221002,

Copy for kind information to:

1. PS to DG, NMCG,
2. PD, SMCG-UP

(COURT MATTER: PRIORITY)

F.No. L-25012(11)/12/2025-O/o ED(TECH)-NMCG

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

पहली मंजिल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली – 110001,

दिनांक: 19-06-2026

Subject: Reminder-submission of current status regarding O.A. No. 259/2025 before the Hon'ble National Green Tribunal- Alleged Repair/Renovation/Construction activity in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi-reg.

Ref: NMCG letter dated 24-03-2026

Kind reference is invited to O.A. No. 259/2025 order dated 26/05/2025 before the Hon'ble National Green Tribunal regarding Alleged Repair/Renovation/Construction activity in High Flood Level Zone (HFLZ), Varanasi. In this regard, vide this office letter dated 24/03/2026, DGC is request to furnish the current status.

However, no compliance has been received to this office till date.

Above in view, DGC is requested to furnish current status of the same and convey the same to the NMCG at the ed-technical@nmcg.nic.in on or before **30/06/2026**. It may kindly be noted that the **next date of hearing in the matter is 20/07/2026.**

अनूप) कुमार श्रीवास्तव

कार्यकारी निदेशक **(तकनीकी)**

To,

1. District Magistrate/Chairperson of the District Ganga Committee (DGC Collectorate Katchehry Varanasi - 221002
2. Superintending Engineer, Irrigation Colony, Varunapuram, Sigra, Varanasi-221002,

Copy for kind information to:

1. PS to DG, NMCG,
2. PD, SMCG-UP

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

F.No L-25011(11)/2/2021-LME NMCG **Date: 25th June, 2026**

Subject: Regarding Flood Plain Zone (FPZ) as per technical guidelines of Central Water Commission (CWC)- July 2025.
Ref: - 1. SMCG-UP's Letter No. 816/373/SMCG-U.P./01 dated 03.06.2026; & 2. Irrigation & Water Resources Department, Uttar Pradesh's Letter dated 04.06.2026

Kindly refer to the above-mentioned letters with regard to Flood Plain Zoning related queries. In this context, following is submitted:

Defining Active Flood Plain- The *Technical Guidelines on Flood Plain Zoning* issued by the Central Water Commission (July 2025) advocate flood plain zoning at different return-period frequencies. Since the State has already completed flood plain zoning studies for several river stretches at the 1-in-100-year return period, it is expected that demarcation at other return periods would not require significant additional effort or time, as no fresh data of yearly discharge peaks, model set-up, etc. are required for the same.

It may be noted that, in terms of Para 6(3) of the NMCG Notification, 2016, no construction activity is permitted within the Active Flood Plain. Therefore, to ensure effective compliance by NMCG, the State Ganga Committee, and the District Ganga Committees, demarcation of the Active Flood Plain corresponding to the 1-in-5-year return period is essential and must be undertaken. Follow-up action regarding demarcation of various flood plain zones, as envisaged in the Technical Guidelines on FPZ, has been repeatedly emphasized to the State, including vide NMCG letter dated 07.08.2025.

Demarcation of Flood Plain, and its sub-Zoning- With regard to the observations made by the Hon'ble National Green Tribunal in its Order dated 27.05.2024 in OA No. 515/2023, it is submitted that the State has already undertaken/is undertaking Flood Plain Zoning at the 1-in-100-year return period, which is consistent with the definition of "flood plain" provided under Section 3(l) of the NMCG Notification, 2016. Accordingly, the ongoing exercise does not constitute any violation of the aforesaid Order.

The division of the flood plain into three distinct zones is intended to facilitate regulation of different categories of activities within the flood plain in accordance with the activities prescribed for each zone in the Technical Guidelines, or as may be notified by the respective State Governments for the Regulatory and Warning Zones. It is further clarified that the Technical Guidelines are advisory in nature and primarily provide guidance regarding the types of activities that may be regulated within the identified flood zones. These guidelines are intended to assist States in framing appropriate Notifications or Executive Orders for implementation.

River Ganga stretch from Bijnaur to Unnao- Although Flood Plain Zoning at the 1-in-5-year and 1-in-25-year return periods has already been completed for the River Ganga stretch from Bijnor to Unnao, demarcation of the flood plain corresponding to the 1-in-100-year return period is also required for this stretch, in line with the approach

being adopted for other river stretches.

Early Reply to DO letter dated 18.05.2026- It is further requested that an early response may kindly be furnished to NMCG's D.O. Letter dated 18.05.2026 in the matter of CA No. 3367 filed before the Hon'ble SC, as the same is still awaited. The next date of hearing in the matter is 21.07.2026. A copy of the said letter is enclosed for ready reference.

In view of the above, the State Government is requested to undertake studies and complete demarcation of flood plains corresponding to the 1-in-5-year and 1-in-25-year return periods in accordance with the Technical Guidelines on Flood Plain Zoning issued by the Central Water Commission (July 2025).

This issues with the approval of DG, NMCG.

Encl: As above

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
कायकारी वनदेशक (तकनीकी)

To,
1. Engineer in Chief, Irrigation and Water Resource Department, Sinchai Bhawan Cantonment Rd, Udaiganj, Husainganj, Lucknow, Uttar Pradesh 226001.
2. Project Director, SMCG-UP, Plot no. 18, Sector 07, Gomti Nagar Extension, Lucknow- 226001.

Copy for kind Information to;
1. PS to Chairman, CWC/PS to CE (P&D), CWC
2. PS to DG, NMCG